वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
1998 - 99

मानक : पथप्रदर्शकः

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

ब्यूरो, कार्यकारिणी समिति तथा महानिदेशालय के प्रमुख अधिकारी
Principal Officers of Bureau, Executive Committee and The Directorate General
(31 मार्च 1999 को) (As on 31 March 1999)

भारतीय मानक ब्यूरो **Bureau of Indian Standards**

अध्यक्ष President	सरदार सुरजीत सिंह बरनाला, केन्द्रीय रसायन, उर्वरक, खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री	Sardar Surjit Singh Barnala Union Minister for Chemicals, Fertilizers, Food and Consumer Affairs
उपाध्यक्ष Vice-President	श्री सत्यपाल सिंह यादव खाद्य एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री	Shri Satya Pal Singh Yadav Minister of State for Food and Consumer Affairs
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति Chairman, Executive Committee	श्री पी.एस. दास, महानिदेशक, भा मा ब्यूरो	Shri P S Das, DG, BIS

भामा ब्यूरो महानिदेशालय **BIS Directorate General**

मुख्यालय **Headquarters**

महानिदेशक Director General		श्री पी.एस. दास	Shri P S Das
मुख्य सतर्कता अधिकारी Chief Vigilance Officer		श्रीमती रश्मि चौधरी	Smt Rashmi Chaudhuri
उपमहानिदेशक Deputy Directors General			
तकनीकी सहायी सेवा Technical Support Service		श्री पी. दक्षिणामूर्ति	Shri P Dakshinamurty
मुहर	Marks	श्री जे. वेंकटरमन	Shri J Venkataraman
मध्य क्षेत्र	Central Region	श्री वी.के जैन	Shri V K Jain
प्रयोगशाला	Laboratory	श्री बी.एल. रैना	Shri B L Raina
तकनीकी	Technical	श्री सतीश चन्द्र	Shri Satish Chander
वित्त	Finance	श्री बी.जी. शंकर राव	Shri B G Sankara Rao
प्रशासन	Administration	श्री दीपक कुमार सिंह	Shri Deepak Kumar Singh

क्षेत्रीय कार्यालय **Regional Offices**

उप महानिदेशक Deputy Directors General			
पूर्वी क्षेत्र	Eastern Region	श्री डी.के. अग्रवाल	Shri D K Agrawal

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
1998-99

3228 (Misc) 2
दिनांक 2001-08-08
नई दिल्ली NEW DELHI

मानक: पथप्रदर्शक:

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

विषय सूची
CONTENTS

1. सिंहावलोकन 1
Overview

2. नीति और आयोजना 4
Policy Strategies and Planning

3. मानक 5
Standards

4. प्रमाणन 11
Certification

5. प्रयोगशाला सेवाएँ 15
Laboratory Services

6. सतर्कता संबंधी गतिविधियाँ 18
Vigilance Activities

7. सूचना सेवाएँ 19
Information Services

8. प्रशिक्षण सेवाएँ 21
Training Services

9. उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ 22
Consumer Related Activities

10. अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ 23
International Activities

11. मानव संसाधन विकास 29
Human Resource Development

12. कंप्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचलन 31
Computerization and Office Automation

13. वित्त, लेखा और लेखा–परीक्षा 32
Finance, Accounts and Audit

मुख्य कार्यपालक की रिपोर्ट – सिंहावलोकन

यह रिपोर्ट एक ही क्षण में भा. मा. ब्यूरो की झलक प्रस्तुत करती है। ब्यूरो की कुछ परियोजनाएँ, जो कई वर्ष पहले केवल आरम्भिक गतिविधियों के रूप में शुरू हुई, अब पूरी हो गई हैं। अन्य परियोजनाएँ अपनी आरम्भिक अथवा विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। ये सभी भा.मा.ब्यूरो द्वारा 50 वर्ष पहले आरम्भ किए गए अग्रगामी विकास का एक हिस्सा हैं और आज भी जारी हैं तथा ये भारतीय मानकों की विविधता और उनके बढ़ते क्षेत्र, प्रमाणन योजनाओं तथा सहायी सेवाओं, जो व्यावसायिक प्रचालनों का मूल्य बढ़ाती हैं, द्वारा ब्यूरो का भविष्य सुनिश्चित करती हैं।

1998-99, भारतीय मानक ब्यूरो की बहुमुखी प्रगति का एक और वर्ष सिद्ध हुआ। इसकी सफलता केवल मानकों के विकास और उत्पाद प्रमाणन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसने खाद्य–जनित हानि विश्लेषण नियंत्रण बिन्दु (एचएसीसीपी) जैसे नये क्षेत्र में भी सफलता हासिल की। खाद्य उद्योग के पास यह विकल्प होगा कि वे या तो आई एस 15000 के अनुसार प्रमाणन प्राप्त करें या गुणता पद्धति के साथ संयुक्त रूप से प्रमाणन प्राप्त करें जिसमें उन्हें आईएस/आईएसओ 9000 और आईएस 15000 दोनों के लिए एक ऑडिट द्वारा संयुक्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अभी तक ऐसे आठ लाइसेंस प्रदान किए जा चुके हैं। पिछले वर्ष के दौरान की प्रवृत्ति को कायम रखते हुए वर्ष 1998-99 भी सतत वृद्धि और वित्तीय आत्मसक्षमता का वर्ष रहा। भा. मा. ब्यूरो लगातार दसवें वर्ष भी अपनी गतिविधियों के लिए पर्याप्त संसाधन पैदा करने में सफल रहा। इस संदर्भ में ब्यूरो की कुल आय 53.966 करोड़ रुपए रही।

वर्ष की इन उपलब्धियों के बावजूद भी भारतीय मानक ब्यूरो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है, क्योंकि ब्यूरो के सामने अभी बहुत बड़ा कार्य करना शेष है। अर्थव्यवस्था के बढ़ते उदारीकरण के साथ हम – जैसे इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, गुणता परिदृश्य के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा की कड़ी वास्तविकताओं का सामना करने के लिए उद्यमों के प्रबन्ध की समीक्षा करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे विकास कार्य, जिनके लिए सभी निर्माण करने वाले और सेवा देने वाले संगठनों को प्रभावी ढंग से ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता होगी, वे हैं – ग्राहक और आम नागरिक। उपभोक्ता की मनःस्थिति और आवश्यकताओं को समझने के लिए भा.मा. ब्यूरो को निरंतर नई पद्धतियों का विकास और कार्यान्वयन करना होगा, क्योंकि संपूर्ण गुणता प्रबन्ध के लिए सघन पूंजी की आवश्यकता ही नहीं है, अपितु इसके लिए सघन प्रयास और प्रक्रिया अपेक्षित हैं।

CHIEF EXECUTIVE'S REPORT — An Overview

This report offers a snapshot of BIS in a moment. Some of its projects, which began couple of years ago as no more than preliminary ripples of activity, have come to fruition. Other projects are at their beginning or at various stages of evolution. All are part of the onward transmission which BIS launched 50 years ago, sustains today and ensures for the future with a varied and growing portfolio of Indian Standards, certification schemes and support services that add value to business operations.

The year 1998-99 proved to be another year of all around progress for the Bureau of Indian Standards (BIS). Its success was not limited merely to standards development and product certification but spread to newer areas like Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Certification. The Food industry will have the option either to go for certification as per IS 15000 alone or to combine with Quality System in which case a combined certificate against IS/ISO 9000 and IS 15000 will be given through one audit. Eight licences have been granted so far. Maintaining the trend during the earlier year, 1998-99 was also a year of sustained growth and financial self sufficiency, BIS was able to generate adequate resources for its activities for the tenth consecutive year with a total income of Rs 539.66 million.

Notwithstanding the accomplishments of the year, BIS yet in the process of gearing itself to meet the future challenges, has a gigantic task in front of it. As we move towards the twenty first century with progressive liberalization of our economy, there is a need to look at the management of enterprises with quality perspective to face the stark realities of the competition. Some of the developments which would require an effective focus in all manufacturing and service organizations is on the customer, the common citizen. BIS will need to continuously develop and implement new methods to capture moods and requirements of the customer as total quality management is not capital intensive but is effort and process intensive.

मानक निर्धारण गतिविधि में संख्यात्मक लक्ष्यों से संचालित प्रबन्ध गुणता, आवश्यकता और समयबद्धता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अब मानक निर्धारण गतिविधि का पुनः अभिविन्यास किया जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 339 मानक निर्धारित किए गए, जिससे मानकों की कुल संख्या 17 235 हो गयी। इसके अतिरिक्त ग्राहक सेवाओं में सुधार लाने की दृष्टि से हम मानकों की इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और रिट्रीवल परियोजना के साथ अपने केन्द्रीय वितरण केन्द्र और बिक्री केन्द्रों पर इन्वेंटरी में कमी लाने के कार्यक्रम पर कार्य कर रहे हैं।

हमारी प्रमाणन योजनाओं का उद्योग द्वारा निरन्तर स्वागत किया जा रहा है। उत्पाद प्रमाणन योजना के अन्तर्गत 1 688 लाइसेंस प्रदान किए गए तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमएस) के अन्तर्गत पांच लाइसेंस दिए गए। गुणता पद्धति प्रमाणन योजना (क्यूएससीएस) के क्षेत्र में लगातार प्रगति हुई। आईएस/आईएसओ 9000 मानकों की श्रृंखला के अनुसार 105 लाइसेंस (एचएसीसीपी सहित) प्रदान किए गए।

चूँकि मानक मुहर बाजार में भा मा ब्यूरो की उपस्थिति का सबसे लोकप्रिय प्रतीक है, इसलिए हमारा यह निरंतर प्रयास रहता है कि आम उपभोक्ता में इसकी लोकप्रियता कायम रहे, इसके लिए योजना के अन्तर्गत पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना होगा तथा मानक मुहर के दुरूपयोग को रोकना होगा। भा मा ब्यूरो की मानक मुहर का अनधिकृत निर्माताओं द्वारा जाली मुहरांकन, नकल को रोकने के लिए आईएसआई मुहर लगे उत्पादों पर होलोग्राम का उपयोग शुरू करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है।

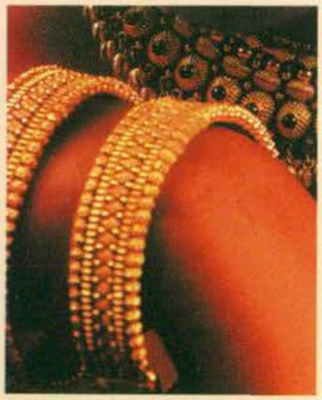

उपभोक्ताओं के हितों और बाजार की माँग को ध्यान में रखते हुए भा मा ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत ऐच्छिक आधार पर स्वर्णाभूषणों के प्रमाणन (हाल मार्किंग के रूप में लोकप्रिय) का प्रस्ताव किया गया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त है। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता का प्रमाणन भारतीय मानक आईएस 1417 : 1981 "स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के ग्रेड" के अनुसार होगा।

इसी प्रकार उपभोक्ता देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं की गुणता से अब तक अनभिज्ञ ही थे, क्योंकि उनकी गुणता सुनिश्चित करने का कोई उपाय नहीं था। इसलिए भा मा ब्यूरो ने आयातित वस्तुओं के प्रमाणन के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है।

विभिन्न मंचों पर खनिज जल की गुणता को लेकर व्यक्त की गई चिंता को ध्यान में रखते हुए भा. मा. ब्यूरो ने दो

The standards development activity is being reoriented to focus on quality, need and timeliness. During the year under review 339 standards were formulated bringing the total to 17 235. Besides we are embarking on a project for electronic storage and retrieval of standards, as well as, a programme of inventory reduction at our central distribution point and sales outlets with a view to improve customer service.

Our certification schemes continue to be well received by the industry. 1 688 licences were granted under product certification scheme and 5 under the environmental management scheme (EMS). Steady progress was also seen in the area of quality system certification scheme (QSCS) with 105 licences (including HACCP) being granted as per IS/ISO 9000 series of standards.

Since the Standard Mark is the most visible symbol of BIS presence in the market, it is our endeavour to sustain its popularity with the common consumer. This calls for strengthening supervision under the scheme and curbing misuse of the Standard Mark. As a check against counterfeiting/duplication of the BIS Standard Mark by the unauthorized manufacturers, a conscious policy decision has been taken to introduce use of hologram on ISI Marked products.

Keeping in view the consumer interest and market demand, gold jewellery certification (popularly known as Hall Marking) on a voluntary basis has been proposed under the BIS Act, 1986 and accepted by Reserve Bank of India. Certification of purity of gold jewellery will be in accordance with the Indian Standard IS 1417 : 1981 'Grades of gold and gold alloys'.

Similarly so far the consumers were unaware of the quality of imported goods being brought into our country, as there was no means of ensuring its quality. BIS has thus initiated a proposal for the Certification of imported products.

In view of the anxiety raised at different fora about quality of mineral water, BIS formulated two Indian Standards, that is, IS 13428 : 1998

भारतीय मानक अर्थात् आईएस 13428 : 1998 "पैकेजबंद प्राकृतिक खनिज जल" और आईएस 14543 : 1998 "पैकेजबंद पेय जल" निर्धारित किए हैं। इन्हें *खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम* के अन्तर्गत, अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत लाने का विचार है।

भा मा ब्यूरो के कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण और उनका ऑटोमेशन दूसरा ऐसा क्षेत्र है, जिसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। भा मा ब्यूरो ने अपने विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों, जैसे मानक निर्धारण और प्रमाणन में कार्यालय ऑटोमेशन का प्रयास करना जारी रखा। सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों को ई–मेल/इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यवाही की गई।

वर्ष की अन्य घटनाएँ निम्नलिखित हैं:–

- भूटान की शाही सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह विदेश में अपनी प्रमाणन योजना शुरू करने की दिशा में भा मा ब्यूरो का एक बहुत बड़ा कदम था।
- 13 और भारतीय मानकों को हिन्दी में प्रकाशित करके, जिससे हिन्दी/द्विभाषी मानकों की संख्या 235 हो गई है, राष्ट्रीय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा दिया।
- बाहरी ग्राहकों के लिए परीक्षण और अंश शोधन सुविधाएँ खोल दी गईं।
- इंडियन ओशन रिम–एसोशिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन (आईओआर–एआरसी) की पहली बैठक में ब्यूरो की सक्रिय सहभागिता। मानकों में सहयोग के लिए ब्यूरो को समन्वयकर्ता बनाया गया।

अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के साथ–साथ हमारा यह भी प्रयास है कि हम भा मा ब्यूरो को स्वस्थ और अधिक व्यावसायिक संस्थान बनाएँ, जो अपने ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में सजग हो। कार्य के आउटपुट को अधिकतम करने हेतु कंम्पयूटरीकरण और ऑटोमेशन पर लगातार बल देते हुए भा मा ब्यूरो व्यावसायिक रूप से व्यवस्थित और ग्राहकों की अपेक्षाओं से संचालित संगठन का स्वरूप प्रस्तुत करे।

पी. एस. दास.

पी.एस. दास

(महानिदेशक)

'Packaged natural mineral water' and IS 14543 : 1998 'Packaged drinking water'. It is intended to bring these under compulsory certification under the *Prevention of Food Adulteration Act.*

Another high priority area is the Computerization and Office Automation of BIS offices. BIS continued its efforts towards office automation in various functional areas like standards formulation and certification. Steps are being taken to provide e-mail/internet facility to all its regional and branch offices.

The other highlights of the year included:

- Signing of Memorandum of Understanding (MoU) with the Royal Government of Bhutan; a major stepping stone for BIS to launch its certification scheme in overseas.
- Promotion of use of Hindi in the furtherance of the National Policy in Official Language with the publication of 13 more Indian Standards in Hindi raising the number of Hindi/bilingual standards to 235.
- Testing and calibration facilities thrown open to external customers.
- Active participation of Bureau in the first meeting of the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC). Bureau made coordinator for cooperation in standards.

While furthering our activities, it is our endeavour to make BIS a lean, healthy and more business-like organization conscious of its obligations to its customers. With continuing emphasis on computerization and automation to maximize work output, BIS shall be able to truly present picture of a professionally managed and customer driven organization.

P.S. Das

(Director General)

नीति और आयोजना

योजनागत परियोजनाएँ

भा.मा. ब्यूरो की आधारिक संरचनाओं का निर्माण, जिनके लिए काफी पूँजी की आवश्यकता होती है, राष्ट्रीय परिव्यय के भाग के रूप में सरकार द्वारा दिए गए वित्त से होता है। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अंतर्गत भा मा ब्यूरो की यथा–अनुमोदित विभिन्न योजनागत परियोजनाओं के विकास के लिए 17.82 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया। तदनन्तर वित्त मंत्रालय द्वारा योजनागत योजनाओं का पुनरावलोकन किया गया और पुनर्विचार के पश्चात् केवल प्रशिक्षण संस्थान ही भा मा ब्यूरो की ऐसी परियोजना है जिसे नवीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है और जिसके लिए योजना निधियों से 8.0 करोड़ रुपयों का उपयोग ज़मीन और भवन निर्माण की लागत के लिए किया जाएगा। वर्ष 1998-99 के लिए 2.0 करोड़ रुपए नियत किए गए। विभिन्न अग्रगामी परियोजनाओं के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान किए गए खर्च की पूर्ति योजना निधि की शेष न खर्च की गई राशि से की गई और इस अवधि के दौरान विभिन्न अग्रगामी परियोजनाओं में हुई प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है:

स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था

स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के हित में आवास की अत्यधिक कमी की समस्या के समाधान के लिए भा मा ब्यूरो अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों में आवासीय फ्लैट लेता रहा है। केवल 1998-99 के दौरान ब्यूरो ने मुंबई में 6 फ्लैट खरीदे। इस परियोजना पर 1.138 करोड़ रुपए खर्च हुए।

प्रशिक्षण संस्थान

प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने की आवश्यकता मानकीकरण, गुणता पद्धति और माप–विज्ञान आदि में प्रशिक्षण पाठयक्रमों के लिए महसूस की गई क्योंकि इन क्षेत्रों में औपचारिक पाठयक्रम प्रदान करने के लिए कोई भी कालेज अथवा विश्वविद्यालय नहीं है। नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षण संस्थान के लिए अनुमानित लागत 9.5 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई। योजनागत निधि से 8.0 करोड़ रुपये और भारतीय मानक ब्यूरो के संसाधनों से 1.5 करोड़ रुपये हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थान के अहाते की दीवार बनाने के लिए सी.पी. डब्लयू. डी. को 0.1957 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया। यह राशि निर्धारित योजनागत निधि एवं भारतीय मानक ब्यूरो की निधियों से खर्च की गई। मुख्य भवन का निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा।

POLICY STRATEGIES AND PLANNING

PLAN PROJECTS

The infrastructural facilities of BIS, which are capital intensive in nature, are built through finances provided by the government as part of the National Plan outlay. BIS plan projects as approved under the Ninth Five Year Plan (1997-2002) envisage an outlay of Rs 178.20 million for augmenting the various plan projects. Subsequently the plan schemes were reviewed by the Ministry of Finance and after reconsideration Training Institute is the only project of BIS retained for the Ninth Plan, utilizing Rs 80.00 million towards cost of land and construction of the building from plan funds. Rs 20.00 million were allocated for the year 1998-99. The expenditure incurred for various ongoing projects during 1998-99 was met through the balance unspent amount of the plan funds and the progress achieved during the period for the various ongoing projects is given below:

Staff Housing

To resolve the acute shortage of housing for the benefit of transferable employees, BIS has been acquiring residential flats in Headquarters, Regional / Branch offices. During 1998-99, BIS has purchased 6 flats in Mumbai. An expenditure of Rs 11.38 million has been incurred under this project.

Training Institute

The need for setting up of a training institute was felt so as to run training courses on standardization, quality systems, meteorology, etc, in the absence of any college or university providing formal courses in these areas. The estimated cost towards the training institute as proposed in the Ninth Five Year Plan was Rs 95.00 million, Rs 80.00 million from plan funds and Rs 15.00 million from BIS resources. Under this project, Rs 1.957 million have been spent during the year towards advance payment to CPWD for construction of boundary wall of the Training Institute utilizing the allocated plan funds and BIS funds. The construction of the main building is being initiated shortly.

मानक

मानक निर्धारण

19 मार्च 1999 को आयोजित मानक सलाहकार समिति की बैठक में यांत्रिक और परिवहन इंजीनियरी क्षेत्र की चार विभाग परिषदों, अर्थात् भारी यांत्रिक इंजीनियरी, हल्की यांत्रिक इंजीनियरी, उत्पादन इंजीनियरी तथा परिवहन इंजीनियरी विभागों का कार्य तीन विभाग परिषदों अर्थात् यांत्रिक इंजीनियरी विभाग परिषद् (एमईडीसी), आधारभूत तथा उत्पादन इंजीनियरी विभाग परिषद् (बीपीडीसी) तथा परिवहन इंजीनियरी विभाग परिषद् (टीईडीसी) में पुनर्व्यवस्थित किया गया। पुनर्व्यवस्थित विभाग परिषदों और उनके संगत मानक निर्धारण विभागों ने 16 जून 1999 से कार्य आरंभ किया।

मानक निर्धारण की गतिविधि का जायजा लेने के लिए उत्पादन इंजीनियरी, चिकित्सा उपस्कर एवं अस्पताल आयोजना, प्रबन्ध पद्धति, पेट्रोलियम एवं कोयला, हल्की यांत्रिक इंजीनियरी, रसायन इंजीनियरी, खाद्य एवं कृषि, वस्त्रादि और धातुकर्म इंजीनियरी की विभाग परिषदों की वर्ष के दौरान बैठकें हुई। मानकों के मसौदों और तत्संबंधी तकनीकी प्रलेखों पर विस्तार से विचार–विमर्श करने के लिए बड़ी संख्या में उपसमितियों और कार्यकारी समूहों के अतिरिक्त 175 विषय समितियों की बैठकें भी हुई।

वर्ष 1998-99 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने 339 (नये और पुनरीक्षित) मानक निर्धारित किए। इस प्रकार 31 मार्च 1999 को कुल लागू मानकों की संख्या 17 235 हो गई (आकृति 1 *देखें*)।

मानकों की समीक्षा एवं उनको अद्यतन बनाना

यदि आवश्यक समझा जाता है तो मानकों की समीक्षा की जाती है, परन्तु यह समीक्षा पाँच वर्षों में कम से कम एक बार की जाती है। वर्ष के दौरान पुनरीक्षण के पश्चात् 2 675 मानक पुनर्पुष्ट किए गए, 335 मानकों को पुनरीक्षण के लिए लिया गया तथा 72 मानक वापस लिए गए। इसके अतिरिक्त 252 मानकों को संशोधनों के लिए अनुमोदित किया गया।

मानकों का समरूपीकरण

मानकीकरण गतिविधि के एक जैसे विकास के लिए और देश की विभिन्न एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए मानकों को समरूप बनाने के लिए ब्यूरो ने स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा रक्षा मंत्रालय सहित अनेकों विभागों के साथ विचार–विमर्श किया। रक्षा विभागों की अपेक्षाओं को भारतीय मानकों में

STANDARDS

SANDARDS FORMULATION

In the meeting of Standards Advisory Committee held on 19 March 1999, work of four Division Councils of Mechanical and Transport Engineering Sector, namely, Heavy Mechanical Engineering, Light Mechanical Engineering, Production Engineering and Transport Engineering Division was reorganized into three Division Councils, namely, Mechanical Engineering Division Council (MEDC) , Basic and Production Engineering Division Council (BPDC) and Transport Engineering Division Council (TEDC). The reorganized Division Councils and corresponding standards formulating departments have come into force from 16 June 1999.

To take stock of standards formulation activity, Division Councils of Production Engineering, Transport Engineering, Medical Equipment and Hospital Planning, Management Systems, Petroleum and Coal, Light Mechanical Engineering, Chemical Engineering, Food and Agricultural, Textile and Metallurgical Engineering met during the year. The meetings of 175 Sectional Committees in addition to large number of Subcommittees and working groups were also held to consider drafts of standards and related technical documents in detail.

During 1998-99, BIS formulated 339 (new and revised) standards, bringing the total number of standards in force to 17 235 as on 31 March 1999 (*see* Fig.1).

Review and Updating of Standards

Standards are reviewed as considered necessary, but at least once in five years. After review, 2 675 standards were reaffirmed, 335 were taken up for revision and 72 were withdrawn during the year. In addition, 252 amendments to standards were approved.

Harmonization of Standards

In order to have harmonious development of standardization activity and to harmonize standards made by different agencies in the country, discussions were held with many departments including Ministries of Health, Environment and Defence. Efforts between

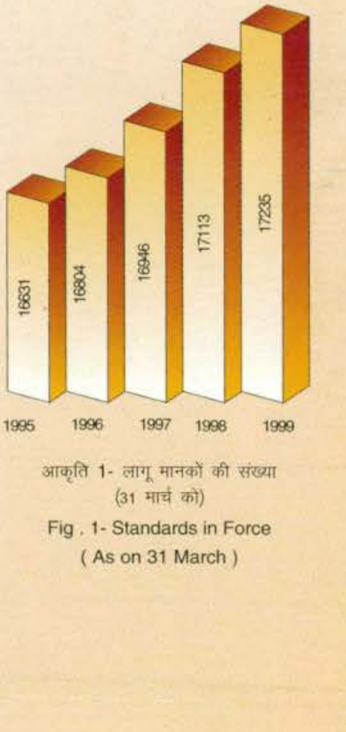

आकृति 1- लागू मानकों की संख्या (31 मार्च को)

Fig . 1- Standards in Force (As on 31 March)

शामिल करने के लिए ब्यूरो तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रयास किए गए ताकि भारतीय मानकों के अनुरूप बाजार में उपलब्ध अनेकों वस्तुएँ (सी ओ टी एस वस्तुएँ) इन विभागों को उपलब्ध कराई जा सकें।

पर्यावरण प्रबन्ध पद्धतियाँ

पर्यावरण प्रबन्ध के विषय ने अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर विशेष महत्व प्राप्त किया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी समिति आईएसओ/टीसी 207 पर्यावरण प्रबन्ध से सम्बन्धित है।

राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में कार्य को विशेष बल देने के लिए और आईएसओ/टीसी 207 के कार्य में भारत की सहभागिता में सुधार करने के लिए पर्यावरण प्रबन्ध पर एक नई विषय समिति सीएचडी 34 का गठन सितम्बर 1998 में रसायन विभाग परिषद् की पिछली बैठक में किया गया।

व्यवसाय विशेष में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन पद्धतियाँ

किसी भी संगठन की निर्विघ्न और प्रभावी कार्यकारिता के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षित कार्यकारिता दुर्घटना रहित वातावरण सुनिश्चित करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विविध प्राधिकरणों द्वारा अनेकों कानून बनाए गए हैं, परन्तु काफी समय से इन गतिविधियों की आयोजना और मॉनीटरी के लिए एक सुव्यवस्थित पद्धति की आवश्यकता विभिन्न सम्बद्ध संगठनों द्वारा महसूस की जा रही थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्यूरो ने अपनी औद्योगिक सुरक्षा विषय समिति के माध्यम से "व्यवसाय विशेष में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबन्ध पद्धतियाँ–उपयोग के लिए मार्गदर्शन सहित विशिष्टि" नामक मानक मसौदे का निर्धारण किया है। इस मसौदे को व्यापक परिचालन में सम्मतियाँ प्राप्त करने के लिए जारी कर दिया गया है।

विद्युत उपकरणों के लिए ऊर्जा लेबल लगाने के प्रतिमान

विद्युत उपकरणों से संबंधित भारतीय मानकों में ऊर्जा खपत की अधिकतम सीमा, अधिकतम कार्य दक्षता और न्यूनतम क्षति के ऊर्जा संरक्षण पहलुओं को निर्दिष्ट करके एक या अधिक पैरामीटर दिए गए हैं।

पहले चरण में तीन साधित्रों, अर्थात् वाटर स्टोरेज हीटरों, रेफ्रीजरेटरों तथा एयर कंडीशनरों का ऊर्जा लेबलिंग के लिए चयन किया गया है। रेफ्रीजरेटरों के भारतीय मानकों को पुनरीक्षण के लिए लिया गया और इन्हें संगत आई एस

the Bureau and the Ministry of Defence were made to incorporate requirements of Defence Departments in the Indian Standards so as to make available to them many commercially off-the-shelf items complying to the requirements of Indian Standards.

Environmental Management Systems

The subject of environment management has gained special significance both at international and national level. At the international level, Technical Committee ISO/TC 207 deals with environmental management.

In order to give special impetus to the work on this aspect at national level and to improve India's participation in the work of ISO/TC 207, a new Sectional Committee on Environmental Management, CHD 34 has been set up at the last meeting of Chemical Division Council held in September 1998.

Occupational Health and Safety (OH&S) Management Systems

Health and Safety is one of the most important aspects of an organization's smooth and effective functioning. Good health and safety performance ensure an accident free environment. Several legislations have been laid down by the legal authorities to achieve this goal but a need for structured system to plan and monitor such activities has been felt for quite sometime by various quarters concerned. In order to achieve the same the Bureau has formulated draft standards on occupational health and safety management systems — Specification with guidance for use through its Industrial Safety Sectional Committee. This draft was issued into wide circulation seeking comments.

Energy Labelling Norms for Electrical Appliances

Indian Standards on electrical appliances cover the energy conservation parameters by stipulating one or more aspects of maximum limit on energy consumption, minimum efficiency, and maximum losses.

At the first stage three appliances, namely, storage water heaters, refrigerators and airconditioners have been identified for energy labelling, Revision of Indian Standards for refrigerators was taken up for revision aligning

ओ मानकों के अनुरूप बनाया गया, परन्तु उनकी परीक्षण अवस्थाएँ वही रखी गई हैं जो ऊष्णकटिबंधीय देशों के लिए उपयुक्त हैं। पुनरीक्षण मसौदों में विभिन्न धारिताओं के लिए ऊर्जा खपत के मानों में कमी की गई है। मसौदे में ऊर्जा लेबल के विभिन्न प्रकार के डिजाइन भी दिए गए हैं और किस प्रकार के लेबल को स्वीकार किया जाए इस पर सम्मतियाँ मांगी गई हैं। एयर कंडीशनरों और स्टोरेज वाटर हीटरों के लिए भी इसी प्रकार की प्रक्रिया प्रगति पर है।

with corresponding ISO Standards, keeping test conditions as applicable for tropical countries. Energy consumption values for different capacities have also been reduced in the draft revision. Draft also contains design of various types of energy labels on which comments have been invited for the type of label to be adopted. similar exercise for air conditioners and storage water heaters is also in progress.

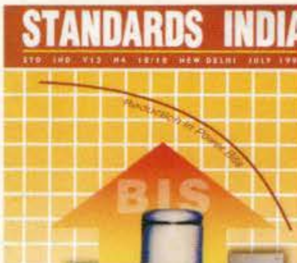

मानक संवर्द्धन

STANDARDS PROMOTION

भारतीय मानकों का शैक्षिक उपयोग (ईयूएस)

Educational Utilization of Indian Standards (EUS)

आज जो प्रौद्योगिकी संस्थाओं के विद्यार्थी हैं, वे कल के प्रबन्धक होंगे और उन्हें मानकीकरण और गुणता पद्धति के विषयों में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ताकि वे वस्तुओं में और अपने द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में गुणता समाविष्ट करने के लिए अच्छी तरह से लैस हों। इस बात को स्वीकार करते हुए भा.मा ब्यूरो मानकों के शैक्षिक उपयोगों पर कार्यक्रमों का नियमित रूप से संचालन कर रहा है, जिसका विशेष उद्देश्य मानकीकरण के संदेश का प्रचार करना तथा शिक्षकों और वरिष्ठ विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध भारतीय मानकों के बारे में जागरूक बनाना है। यदि शिक्षा प्रदान करने वाला शिक्षक वर्ग मानकों की महत्ता तथा उपलब्धता के बारे में भली–भाँति संवेदनशील है तो वह मानकों के कार्यान्वयन के लिए वाहन का कार्य कर सकता है।

मानकों के शैक्षिक उपयोग पर वर्ष के दौरान 9 कार्यक्रम बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली (राजस्थान); आईटीआई, चंडीगढ़; धरमसिंह देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नाडियाड (गुजरात); जबलपुर इंजी. कॉलेज, जबलपुर (मध्य प्रदेश); जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर (प. बं.); अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई (तमिलनाडु); कोयम्बत्तूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बत्तूर (तमिलनाडु); लक्ष्मण पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली और गुवाहाटी इंजी. कालेज, गुवाहाटी (असम) में आयोजित किए गए।

The students of technical institutions of today are the managers of tomorrow, and they need to be trained in the subjects of standardization and quality system, so that they are well equipped to introduce quality in goods and services delivered by them. Recognizing this, BIS has been regularly conducting programmes on Educational Utilization of Standards with the specific aim to propagate the message of standardization and to make the faculty members and senior students aware of the latest Indian Standards in the various fields. The faculty who impart education, if properly sensitized about the importance and availability of standards, can be the vehicle for implementation of standards.

During the year, nine programmes on Education Utilization of Standards were organized for Banasthali Vidyapith, Banasthali (Rajasthan), ITI, Chandigarh, Dharmsinh Desai Institute of Technology, Nadiad (Gujarat), Jabalpur Engineering College, Jabalpur (Madhya Pradesh), Jadavpur University, Jadavpur (West Bengal), Anna University, Chennai (Tamilnadu), Coimbatore Institute of Technology, Coimbatore (Tamilnadu), Laxman Public School, New Delhi and Guwahati Engineering College, Guwahati (Assam).

उद्योगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

Industry Awareness Programmes

मानकीकरण और गुणता पद्धति की अवधारणा को लघु उद्योगों में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्यूरो द्वारा उद्योगों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में व्याख्यान और चर्चा और वीडियो फिल्मों के शो होते हैं। इनके माध्यम से प्रतिभागियों को मानकीकरण की अवधारणा, गुणता पद्धति, उत्पाद प्रमाणन और भारतीय मानक ब्यूरो की अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। ये कार्यक्रम भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थानीय उद्योग संगठनों

With an aim to propagate the concept of standardization and quality systems among small scale industries, industry awareness programmes are organized by BIS. Such programmes consist of lectures, discussions and video film shows, where the participants are exposed to the concept of standardization, quality systems, product certification and other BIS activities. These programmes are organized by BIS in association with local

और उस क्षेत्र के लघु उद्योग सेवा संस्थानों के साथ मिलकर आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान ऐसे 6 कार्यक्रम तारापुर (महाराष्ट्र), अहमदनगर (महाराष्ट्र), अहमदाबाद (गुजरात), कलकत्ता (प. ब.), गुवाहाटी (असम), कानपुर (उ.प्र.) में आयोजित किये गए।

राज्य स्तरीय समितियाँ (एसएलसी)

मानकों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा मानकीकरण और गुणता पद्धति के संदेश का देशभर में प्रचार करने के लिए राज्य स्तर पर स्थायी व्यवस्था करने के लिए मानकीकरण और गुणता पद्धति पर 25 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में राज्य स्तरीय समितियाँ स्थापित की गई हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान त्रिपुरा, गुजरात, मेघालय, मिजोरम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली और असम में राज्य स्तरीय समितियों की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा भामा ब्यूरो की मुहर लगी वस्तुएँ खरीदने, कार्मिकों के प्रशिक्षण, गुणता पद्धति आदेश लागू करने, उपभोक्ता शिक्षण और उत्पाद प्रमाणन और गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंस रखने वाली इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा अधिक प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया।

विश्व मानक दिवस

14 अक्तूबर 1998 को अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना की स्मृति में विश्व मानक दिवस, 1998 मनाया गया। भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय / शाखा / निरीक्षण कार्यालयों में इस अवसर को रेखांकित करने के लिए संगोष्ठियाँ, प्रदर्शनियाँ, व्याख्यान और बैठकें तथा खुली परिचर्चाएँ आयोजित की गईं। नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो ने "दैनिक जीवन में मानक" विषय पर संगोष्ठी आयोजित की, जिसका उद्‌घाटन खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सचिव श्री एन.एन. मुखर्जी ने किया। इस अवसर पर विश्व मानक दिवस की विषय वस्तु "दैनिक जीवन में मानक" पर लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई, जिसमें लगभग 500 मानकों की सूची दी गई है।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार

राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार की स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा की गई, जिसका उद्‌देश्य है भारतीय विनिर्माण और सेवा संगठनों को श्रेष्ठता प्राप्त करने हेतु प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन संगठनों का विशेष सम्मान करना, जो भारत में गुणता आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इस पुरस्कार का ध्येय गुणता कार्यक्रमों में

Industry Associations and Small Industries service Institute of that area.

During the year six such programmes were organized at Tarapur (Maharashtra), Ahmednagar (Maharashtra), Ahmedabad (Gujarat), Calcutta (West Bengal) Guwahati (Assam) and Kanpur (Uttar Pradesh).

State Level Committees (SLCs)

In order to have a permanent mechanism at the state level to ensure effective implementation of standards and to propagate the message of standardization and quality systems all over the country, State Level Committees for Standardization and Quality Systems (SLCs) have been set up in 25 States/ Union Territories. During 1998-99 meetings of SLCs of Tripura, Gujarat, Meghalaya, Mizoram, Karnataka, West Bengal, Kerala, Delhi and Assam were held. During these meetings emphasis was laid on purchase of BIS marked material by the State Governments, training of personnel, enforcement of quality control orders, consumer education and granting more incentives by State Governments to units holding product as well as quality system certification licences.

World Standards Day

World Standards Day 1998 was celebrated on 14 October 1998 to commemorate the establishment of International Organization for Standardization (ISO). To mark this occasion, seminars, exhibitions, lectures, meetings and open houses were organized at Headquarters and Regional/Branch/Inspection Offices of BIS. In New Delhi, BIS organized a seminar on the theme 'Standards in Daily Life' which was inaugurated by Shri N. N. Mookerjee, Secretary, Ministry of Food and Consumer Affairs. On this occasion a booklet was published on the theme 'Standards in Daily Life' in which about 500 standards are listed.

Rajiv Gandhi National Quality Award (RGNQA)

Rajiv Gandhi National Quality Award was instituted by the Bureau of Indian Standards with a view to encouraging Indian manufacturing and service organizations to strive for excellence and giving special recognition to those who are considered to be the leaders of quality movement in India. This

भारतीय उद्योग की रूचि उत्पन्न करना, उसे इनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना, अपने उत्पादों और सेवाओं के गुणता स्तर को ऊँचा उठाना और अपने उद्योग को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है।

वर्ष 1995, 1996 तथा 1997 के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कारों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह 13 मार्च 1999 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। माननीय केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक, खाद्य तथा उपभोक्ता मामले मंत्री और भामा ब्यूरो के अध्यक्ष सरदार सुरजीत सिंह बरनाला ने ये पुरस्कार मुख्य अतिथि के रूप में दिए।

सूचना और एसएसआई सुविधा कक्ष

भामा ब्यूरो ने अपने मुख्यालय, नई दिल्ली में मई 1997 में लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए एक सूचना और एसएसआई सुविधा कक्ष खोला है। एसएसआई सुविधा कक्ष की समीक्षा बैठक 23 जुलाई 1998 को आयोजित की गई। एक "सिंगल विंडो सैल" के रूप में इस सुविधा कक्ष ने निम्नलिखित के बारे में भामा ब्यूरो की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों से संबंधित विविध प्रकार की अद्यतन सूचना/सहायता विशेषकर लघु उद्योग को प्रदान की:

- मानक (राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय)
- उत्पाद प्रमाणन मुहर योजना
- गुणता पद्धति प्रमाणन योजना (आईएसओ 9000)
- पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (आईएसओ 14000)
- खाद्यजनित हानि विश्लेषण एवं क्रांतिक नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी)
- ईको मुहर प्रमाणन योजना
- पुस्तकालय सेवाएँ
- जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रयोगशाला एवं अंशशोधन सेवाएँ
- विविध सूचनाएँ

भामा ब्यूरो संबंधी सेवा सूचना के अतिरिक्त सुविधा कक्ष ने लघु उद्योग के उद्यमियों द्वारा अपेक्षित अन्य विषयों जैसे आईईसीक्यू और आईईसीईई मुहर योजना, एगमार्क, डीसीएसएसआई, एसआईडीबीआई पेटेंट के रजिस्ट्रार, बाट एवं माप, एसईआई के बारे में भी सूचना प्रदान की।

वर्ष 1998-99 के दौरान एसएसआई सुविधा कक्ष ने 1 040 आगंतुकों को सूचना उपलब्ध कराई तथा 283 पत्रों और टेलीफोन से पूछे गए 91 प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

award is intended to generate interest and involvement of Indian Industry in quality programmes, drive our products and services to higher levels of quality and equip our Industry to meet the challenges of domestic and international markets.

Awards Presentation Ceremony for Rajiv Gandhi National Quality Awards for the years 1995, 1996 and 1997 was organized at Vigyan Bhawan on 13 March 1999. Sardar Surjit Singh Barnala, Hon'ble Union MIinister of Chemicals and Fertilizers, Food and Consumer Affairs and President, BIS, presented the awards as the Chief Guest.

Information and SSI Facilitation Cell

BIS has opened an Information and SSI Facilitation Cell for the benefit of small and medium scale entrepreneurs at its Headquarters at New Delhi in May 1997. A Review Meeting of SSI Facilitation Cell was held on 23 July 1998. This Facilitation Cell, as a single window, provided variety of updated information/assistance particularly to small scale sectors in the following areas of BIS activities — national as well as international :

- About Standards (National and International)
- Product Certification Marks Scheme
- Quality System Certification Scheme (ISO 9000)
- Environmental Management System Certification Scheme (ISO 14000)
- Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
- ECO Mark Certification Scheme
- Library Services
- Awareness and Training Programme
- Laboratory and Calibration Services
- Miscellaneous Information

In addition to BIS Services, the Facilitation Cell also provided other information required by SSI Entrepreneurs, like IECQ & IECEE mark scheme, Agmark, DCSSI, SIDBI, Registrar of Patent, Weight & Measure, SEI, etc.

During the year 1998-99, 1 040 visitors to SSI Facilitation Cell were attended. 283 letters and 91 telephonic queries were also replied.

उद्योग के लाभ के लिए भामा ब्यूरो तीन और सूचना केन्द्रों का भी प्रचालन कर रहा है। ये केन्द्र मैसूर, जमशेदपुर और आगरा में हैं।

प्रचार

वर्ष के दौरान भामा ब्यूरो ने अपनी गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयास जारी रखे। भामा ब्यूरो गतिविधियों से सम्बन्धित 23 कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किए गए और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से 16 कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। भामा ब्यूरो ने विभिन्न शहरों में 8 प्रदर्शनियों में भाग लिया। कार्यालय से बाहर प्रचार के लिए होर्डिंग और बस पैनलों द्वारा अभियान चलाया गया। विभिन्न समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में 44 विज्ञापन प्रकाशित किए गए और 44 प्रेस नोट जारी किए गए जो व्यापक रूप में प्रकाशित हुए।

हिन्दी पखवाड़ा

हिन्दी पखवाड़े का आयोजन सितम्बर 1998 में किया गया जिसमें हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों पर लेखों में विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा हिन्दी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

मानक इंजीनियर्स संस्थान (एसईआई)

मानक इंजीनियर्स संस्थान (एसईआई) प्रेक्टिस करने वाले मानक इंजीनियरों का व्यावसायिक निकाय है जिसमें 6 000 से भी अधिक सदस्य हैं। एसईआई की गतिविधियों का उद्देश्य मानकीकरण की अवधारणा को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय मानकों का अनुप्रयोग करना है। भामा ब्यूरो ने एसईआई के केन्द्रीय निकाय और इसके विभिन्न अनुभागों को सचिवालयीन सुविधाएँ देना जारी रखा। एसईआई के अनुभागों ने अकेले अथवा भामा ब्यूरो और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ देश में मानकीकरण को बढ़ावा देने और गुणता चेतना उत्पन्न करने के लिए कई संगोष्ठियों, सम्मेलनों, व्याख्यानों, बैठकों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया।

मानकों तथ अन्य प्रकाशनों की बिक्री

भामा ब्यूरो मानकों और अन्य प्रकाशनों की बिक्री 127 पंजीकृत पुस्तकविक्रेताओं तथा मुख्यालय और देश भर में फैले अपने क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के 17 बिक्री केन्द्रों से करता है। वर्ष 1998-99 के दौरान 2.350 करोड़ रुपयों की बिक्री हुई। विदेशी मानकों की बिक्री से 0.170 करोड़ रुपये का कमीशन प्राप्त हुआ।

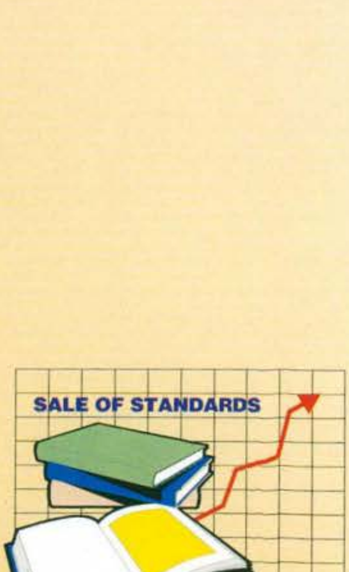

मानकीकरण और गुणता नियंत्रण के क्षेत्र में उद्योग, व्यापार अकादमी, सरकारी संगठन और उपभोक्ताओं की जानकारी को अद्यतन बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए

BIS is also operating three more information Centres for the benefit of the industry. They are at Mysore, Jamshedpur and Agra.

Publicity

During the year, BIS continued its efforts to spread awareness of BIS activities. 23 programmes were telecast on Doordarshan and 16 programmes were broadcast from various kendras of AIR featuring BIS activities. BIS participated in 8 exhibitions in various cities. Campaigns were undertaken on hoardings and bus panels for outdoor coverage. 44 advertisements were released in various newspapers/journals and 44 press notes were issued, which were widely published.

Hindi Pakhwara

Hindi Pakhwara was celebrated in September 1998 where various competitions in Hindi typing, shorthand and write-ups on Science and Technology and an exhibition on Hindi were organized.

Institute of Standards Engineers (SEI)

The Institute of Standards Engineers (SEI) is a professional body of practicing standards engineers with a membership of over 6 000. The activities of SEI are aimed at promoting the concept of standardization and application of national standards. BIS continued to provide secretariat facilities to the Central Body of SEI and its various sections. SEI sections, independently or in collaboration with BIS and other professional bodies, organized several seminars, conferences, lectures, meetings, workshops, etc, to promote standardization and quality consciousness in the country.

Sale of Standards and Other Publications

BIS operates sale of standards and other publications through 17 sales outlets at Headquarters, Regional and Branch Offices spread all over the country besides 127 registered booksellers. The sales during 1998-99 amounted to Rs 23.50 million. The commission earned on sale of overseas standards was Rs 1.70 million.

Keeping in view the requirements of industry, trade, academia, government organizations and consumers to update their knowledge in the field of standardization and quality control,

भामा ब्यूरो दो मानक अद्यतन–योजनाएँ चला रहा है। मानक अद्यतन योजना का वार्षिक अंशदान 25 000 रु. है और विशिष्ट क्षेत्र में मानक अद्यतन योजना का वार्षिक अंशदान 4 000 रु. प्रति क्षेत्र है, परन्तु प्रबन्ध एवं पद्धति के लिए यह अंशदान 1 500 रु. प्रति वर्ष है। वर्ष 1998-99 के दौरान इन दो योजनाओं में 64 अंशदाता थे।

प्रमाणन

उत्पादन प्रमाणन

वर्ष 1998-99 के दौरान भामा ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन योजना में तीव्र विकास हुआ। वर्ष के दौरान 1 688 (एक वर्ष में सर्वाधिक) नए लाइसेंस स्वीकृत किए गए (*देखें* आकृति 2) जिनमें 15 नए उत्पाद इस योजना के अंतर्गत पहली बार शामिल किए गए। इन उत्पादों में नकद रखने की पेटियाँ, साइकिल के रबड़ ट्यूब, मोटर गाडियों के लिए पॉलिश, विस्कोस रेयॉन, स्पेक्ट्रोमीटर, अग्नि शमन के लिए स्टैंड पोस्ट टाइप जल मॉनीटर की प्रकार्यात्मक अपेक्षाएँ, टर्ट बूटाइल हाइड्रोक्विनॉन, कॉफर्स, पीतल के गढ़े हुए गेट, गलोब और चेक बॉल्व, चीनी मिट्टी की टाइलें समूह बी (IIए और III), प्रत्यक्ष–क्रिया हथबरमे, मल–जल के लिए जीआरपी पाइप और इथीफॉन घोल शामिल हैं।

भामा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना में अब तक अपनाए गए भारतीय मानकों, जिनके प्रति उत्पाद प्रमाणित किए जाते हैं, की कुल संख्या इस योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक 986 हो गई है। प्रमाणन मुहर से प्राप्त आय में पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो सर्वाधिक है। यह आय अब रुपये 48.947 करोड़ हो गई है।

31 मार्च 1999 तक लागू लाइसेंसों की कुल संख्या बढ़कर 13 411 हो गई (*देखें* आकृति 3)।

उत्पाद प्रमाणन योजना के अन्तर्गत लागू लाइसेंसों/आवेदकों का मूल्यांकन

लाइसेंसों के प्रचालन की मॉनीटरी के लिए कुल 45 640 निरीक्षण किए गए। वर्ष के दौरान 18 281 फैक्ट्री नमूने और 11 256 बाजार से नमूने (अभी तक सर्वाधिक) लिए गए।

वर्ष के दौरान आवेदन के प्रक्रमण में लगने वाले समय को कम करने के लिए सजग प्रयास किए गए। वर्ष 1998-99 में लाइसेंस प्रदान करने में लगने वाला औसत समय 229 दिन था।

BIS is operating two Standards Update Schemes. Standards Update Scheme with an annual subscription of Rs 25 000 and Standards Update Scheme in specific fields most annual subscription of Rs 4 000 for each field except for Management and Systems for which it is Rs 1 500. During 1998-99 there were 64 subscribers in these two schemes.

CERTIFICATION

PRODUCT CERTIFICATION

Steady progress was made in BIS product certification scheme during 1998-99. 1 688 (the highest ever in an year) new licences were granted during the year (*see* Fig. 2) which included 15 new products covered for the first time under the scheme. These products are cash box, safe deposit locker cabinet, cycle rubber tubes, automobile polish, viscose rayon, spectrometer, functional requirements for stand post type water monitor for fire fighting, tert-butylhydroquinone, coffers, forged brass gate, globe and check valves, ceramic tiles group B (IIA & III), direct action handpumps, GRP pipes for sewerage and ethephon solution.

The total number of Indian Standards thus adopted by the BIS Certification Marks Scheme against which products have been certified since inception of scheme rose to 986. Income from certification marked a 14 percent rise over the previous year to an all time high of Rs 489.47 million.

The total number of operative licences as on 31 March 1999 rose to 13 411 (*see* Fig.3).

Assessment of Operative Licences/ Applicants under Product Certification Scheme

To monitor the operation of licences, a total number of 45 640 inspection visits were paid. During the year 18 281 factory samples and 11 256 market samples (all time high) were drawn.

A conscious effort was made during the year to reduce the time taken for processing of applications. The average time taken for grant of licence was 229 days in the year 1998-99.

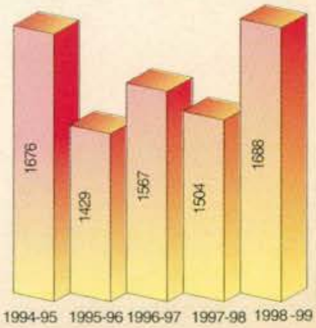

आकृति 2–भामा ब्यूरो द्वारा दिए गए उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस

Fig . 2–BIS Product Certification Licences Granted

आकृति 3–लागू लाइसेंसों की संख्या (31 मार्च को)

Fig . 3–Number of Operative Licences (As on 31 March)

प्रमाणन प्रचालन की समीक्षा

वर्ष के दौरान भामा ब्यूरो प्रमाणन योजना के प्रचालन के बारे में फीडबैक प्राप्त करने के लिए लाइसेंसधारियों के साथ 20 समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जो घरेलू स्विच, पम्प और मोटर, खाद्य पदार्थ एवं संबद्ध उत्पाद, पैराफिन मोम, गहराई से पानी निकालने वाले हथबरमे और इनके संघटक, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, खाद्य रंग, मोटर साइकिल चालकों के लिए हेल्मेट, चालक, केबल और तार, जूट उत्पाद, बिजली के घरेलू उपकरण, डेयरी उत्पाद, डीज़ल इंजन, सीमेंट, टपका सिंचाई पद्धति, ज्वालासह एनक्लोजर और इस्पात की नलियाँ आदि उत्पादों पर थीं।

अन्य प्रमाणनकर्ता निकायों की ओर से प्रमाणन

अन्य राष्ट्रीय मानक और प्रमाणन निकायों की ओर से प्रमाणन गतिविधियों में भामा ब्यूरो की सहभागिता में वृद्धि हुई। केनेडियन स्टैण्डर्डस एसोशिएशन (सीएसए) के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों की इकाइयों की संगत संख्या बढ़कर 79 हो गई और साउथ अफ्रीकन ब्यूरो ऑफ स्टैण्डर्डस के लिए यह संख्या 7 हो गई। अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी) की आईईसीक्यू प्रमाणन योजना के अंतर्गत भामा ब्यूरो राष्ट्रीय मानक संगठन एनएसओ और राष्ट्रीय प्राधिकृत संस्था (एनएआई), दोनों है। इस योजना के अन्तर्गत अनुमोदित की गई इकाइयों में 36 निर्माण करने वाली इकाइयाँ और 4 प्रयोगशालाएँ शामिल हैं। आईईसी ईई–सीबी योजना, जिसका प्रचालन आईईसी द्वारा भी किया जाता है, के अन्तर्गत भामा ब्यूरो राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय (एनसीबी) है। वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत दो आवेदन–पत्र प्राप्त हुए।

प्रवर्तन संबंधी गतिविधियाँ

भामा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना की वृद्धि और लोकप्रियता के फलस्वरूप उपभोक्ता और क्रेता भामा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही भामा ब्यूरो की मानक मुहर के दुरूपयोग की भी कई घटनाएँ सामने आई हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति / कम्पनी द्वारा, जिसके पास भामा ब्यूरो का वैध लाइसेंस नहीं है, मानक मुहर के दुरूपयोग अथवा इसकी हूबहू नकल को रोकने के लिए भामा ब्यूरो प्रवर्तन पर बल देता है।

वर्ष के दौरान भामा ब्यूरो की मानक मुहर के दुरूपयोग के अत्यधिक संख्या में अनेकों मामलों में स्वविवेकानुसार प्रारंभिक अन्वेषण करने के बाद 66 मामले पंजीकृत किए गए। इनमें अन्य सरकारी विभागों द्वारा गुणता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन के 4 मामले, जिनमें भामा ब्यूरो ने सहायता की, शामिल नहीं है। भामा ब्यूरो ने ऐसी 37 फर्मों / पक्षों पर अभियोग चलाया जो सीमेंट लेटेक्स रबड़ फोम के कुशन, बिजली की वस्तुएँ, मृदु इस्पात की नलियाँ, सीमेंट के रंग रोगन, सिलाई मशीनें, यूपीवीसी के पाइप

Review of Certification Operation

In order to acquire feedback into the operation of the BIS Certification Scheme, 20 review meetings with licensees in the product areas of domestic switches, pumps and motors, food and allied products, paraffin wax, deepwell handpump and components, welding electrodes, food colour, helmets for motor cycle riders, conductors, cable and wires, jute products, household electrical appliances, dairy products, diesel engine, cement, drip irrigation system, flameproof enclosures, steel tubes, etc, were organized during the year.

Certification on Behalf of Other Certifying Bodies

BIS participation in certification activity on behalf of other national standards and certifying bodies also registered an increase. The corresponding number of licensee units under Canadian Standards Association (CSA) also rose to 79 and for South African Bureau of Standards to 7. Under the IECQ certification scheme of the International Electrotechnical Commission(IEC), BIS is both the National Standards Organization (NSO) and the National Authorized Institution(NAI). The number of approvals granted under the scheme comprises 36 manufacturing units and 4 laboratories. Under the IECEE-CB scheme, also operated by the IEC, BIS is the National Certifying Body (NCB). Two applications were received under the scheme during the year.

Enforcement Activities

With the growth and popularity of the BIS Certification Marks Scheme resulting in consumers and purchasers insisting on BIS certified products, there have been instances of misuse of BIS Standard Mark also. BIS lays emphasis on enforcement to stop the use of Standard Mark or its colourable imitation by any person/ company who is not holding a valid BIS licence.

During the year, after carrying out preliminary discrete investigation in large number of cases of misuse of BIS Standard Mark, 66 cases apart from 4 cases of violation of the Quality Control Orders by other Government departments in which BIS provided assistance, were registered. BIS launched prosecution against 37 firms/parties who were found to have committed violation of the BIS Standard Mark on the products like cement, latex foam rubber products, electrical items, mild steel tubes,

आदि जैसे उत्पादों पर भामा ब्यूरो की मानक मुहर का उल्लंघन करते हुए पाए गए। सात मामलों में निर्णय हो चुका है जिनमें न्यायालय ने अभियुक्तों को सिद्धदोष ठहराया और भामा ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अनुसार उन्हें जुर्माना/कैद अथवा दोनों की सजा दी। एक मामले में न्यायालय ने फर्म के स्वत्वधारी को सिद्धदोष ठहराया और 50,000 रुपये का जुर्माना किया, तथा उसे एक दिन की कैद की सजा दी। अन्य मामलों में न्यायालय ने दोषसिद्ध ठहराये गये अभियुक्तों को अलग–अलग राशि का जुर्माना और चूक के मामले में साधारण कैद की सजा दी।

वर्ष के दौरान भामा ब्यूरो अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन करने का कार्य प्रगति में रहा, ताकि अपराधों को अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय बनाकर इस अधिनियम के प्रवर्तन को और अधिक प्रभावी और भयोत्पादक बनाया जा सके। यह प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

तलाशी और जब्ती

भामा ब्यूरो की मानक मुहर का दुरूपयोग करने वालों से आम उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए वर्ष के दौरान भामा ब्यूरो मानक मुहर के दुरूपयोग की प्रभावी जाँच जारी रही। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए भामा ब्यूरो की मानक मुहर का दुरूपयोग करने वाली इकाइयों पर वर्ष के दौरान 34 तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाहियाँ की गईं। ये मामले विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों जैसे सीमेंट, एम एस नलियाँ, यूपीवीसी पाइप, लेटेक्स फोम के उत्पाद, ढलवाँ लोहे के पाइप, सिलाई मशीनें, आदि से संबंधित थे।

अन्वेषणों, तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही करने और प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान लिए गए नमूनों के परीक्षण के लिए भामा ब्यूरो ने विभिन्न राज्यों की प्रवर्तन एजेंसियों को तकनीकी इनपुट, संपर्क सेवाएँ तथा सहायता भी प्रदान कीं।

गुणता पद्धति प्रमाणन

वर्ष के दौरान विभिन्न संगठनों को गुणता पद्धति प्रमाणन के लिए 105 लाइसेंस प्रदान किये गये, जिनमें से 102 लाइसेंस आईएस/आईएसओ 9002 के अनुसार थे और 3 लाइसेंस आईएस/आईएसओ 9001 के अनुसार थे। इनमें विभिन्न उद्योग जैसे इंजीनियरी, रसायन, वस्त्रादि, सीमेंट, विद्युत, इलैक्ट्रॉनिकी, औषधि, खाद्य, वित्तीय, बैंकिंग सेवा, भवन निर्माण, अस्पताल तथा थोक व खुदरा व्यापार, इत्यादि शामिल थे। इस वर्ष जो नये विषय शामिल किये गए, वे हैं तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण संस्थान, चमड़ा उत्पाद, विद्युत–पावर का उत्पाद तथा सम्प्रेषण इत्यादि। 1998-99 के दौरान लघु उद्योग की इकाइयों को 31 गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंस दिये गये हैं। गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंसों की कुल संख्या 31 मार्च 1999 को 445 थी (*देखें* आकृति 4) जिसमें लघु उद्योग की इकाइयों को दिये गये 88 लाइसेंस भी शामिल हैं।

cement paint, sewing machines, UPVC pipes, etc. Seven cases have been decided in which the courts have convicted the accused with fine/imprisonment or both as per BIS Act, 1986. In one case the court has convicted the proprietor of the firm with a fine of Rs 50 000 and imprisonment for one day. In other cases the courts have convicted the accused with varying amounts of fine and in case of default, simple imprisonment.

Further, the exercise of proposed amendment to BIS Act with a view to making its enforcement more effective and deterrent by making the offenses cognizable under the Act is under progress and proposal is under active consideration of the Government of India.

Search and Seizures

In order to protect the common consumer from being deceived by those misusing BIS Standard Mark, effective checking of misuse of BIS Standard Mark continued during the year. To collect the evidences, as many as 34 search and seizure operations were carried out during the year on units misusing BIS Standard Mark. These cases related to various consumer products such as cement, mild steel tubes, UPVC pipes, latex foam rubber products, cast iron pipes, sewing machines, etc.

BIS also provided technical inputs, liaison and assistance to enforcement agencies of various states in conducting investigations, search and seizure operations, testing of samples taken during enforcement activities, etc.

QUALITY SYSTEMS CERTIFICATION

During the year 105 Quality Systems Certification Licences were granted to various organization. Of these 102 were as per IS/ISO 9002 and 3 as per IS/ISO 9001, covering a vide range of industries, like engineering, chemical, textile, cement, electrical, electronic, pharmaceutical, food, financial, banking service, construction, hospital, wholesale and retail trade, etc. During the year, new scope sectors covered are technical education, training institute, leather products, generation and transmission of electrical power, etc. During 1998-99, 31 Quality Systems Certification Licences have been granted to small scale units. The total number of Quality Systems Certification Licences as on 31 March 1999 stood at 445 (*see* Fig. 4) which include 88 licences granted to small scale units.

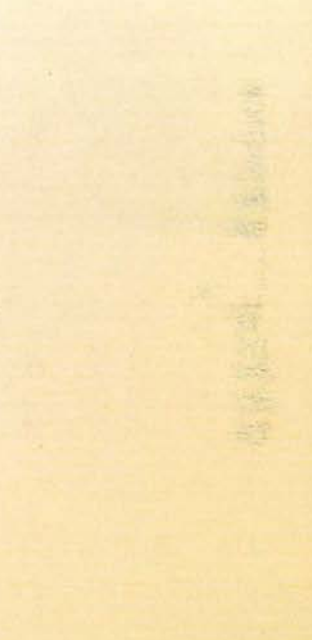

आकृति 4–गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंसों की संख्या (31 मार्च को लागू)

Fig. 4–Number of Quality System Certification Licences (Operative as on 31 March)

भामा ब्यूरो गुणता पद्धति प्रमाणन योजना का प्रचालन ईएन 45012 "जनरल क्राइटेरिया फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज ऑपरेटिंग क्वालिटी सिस्टम सर्टिफिकेशन" में यथानिर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय कसौटियों के आधार पर किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत शिकायतकर्त्ताओं की संतुष्टि के लिए उनकी शिकायतों का निवारण तेजी से किया जाता है।

एचएसीसीपी प्रमाणन

खाद्यजनित हानि विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) एक प्रकार की प्रक्रमण नियंत्रण पद्धति है जो खाद्य उत्पादन में सूक्ष्मजैवीय तथा अन्य हानियों का पता लगाने और उनके निवारण के लिए डिजाइन की गई है। एचएसीसीपी एकीकृत गुणता पद्धति प्रमाणन पिछले वर्ष लांच किया गया और वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत 8 कंपनियों को प्रमाणित किया गया हैं। इस योजना के अंर्तगत एक ही ऑडिट के बाद एचएसीसीपी और आईएसओ 9000 का प्रमाण पत्र प्रदान करके दोहरा लाभ दिया जाता है। इस योजना से खाद्य और खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को काफी सहायता मिलेगी, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को निर्यात करने के लिए।

भामा ब्यूरो की क्यूएससीएस का प्रत्यायन

भामा ब्यूरो की गुणता पद्धति प्रमाणन योजना (क्यूएससीएस) को उद्योग के प्रमुख 18 क्षेत्रों में राड वूर एक्रीडिटेटी (आरवीए), नीदरलैंड द्वारा प्रत्यातित किया गया है। आरवीए द्वारा दिया गया प्रत्यायन यह सुनिश्चित करता है कि भामा ब्यूरो की इस योजना के अन्तर्गत जारी किये गये आईएसओ 9000 के प्रमाण पत्र सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं।

पर्यावरण प्रबंधन पद्धति प्रमाणन

भामा ब्यूरो की पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना, जो पिछले वर्ष लांच की गई थी, के अंतर्गत विविध उद्योगों, जैसे सीमेंट, वस्त्रादि, रंजक तथा रसायन इत्यादि को 5 लाइसेंस दिये गये हैं। लाइसेंस प्रदान करने के लिए लंबित आवेदनों में एकीकृत इस्पात सयंत्र, ताप विद्युत सयंत्र जैसे नए क्षेत्र हैं।

ईएमएस जागरूकता कार्यक्रम

भामा ब्यूरो ने आईएसओ 14000 मानकों की श्रृंखला पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना जारी रखा, ताकि उद्योगों की व्यावसायिक गतिविधियों में आईएसओ 14001 के कार्यान्वयन के लिए उनकी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उन्हें भामा ब्यूरो की ईएमएस प्रमाणन योजना से अवगत कराया जा सके। वर्ष के दौरान भामा ब्यूरो ने ऐसे 15 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये।

The operation of BIS Quality System Certification Scheme is based on international criteria as laid down in EN 45012 'General criteria for certification bodies operating quality system certification'. The scheme envisages speedy redressal of complaints to the satisfaction of complainant.

HACCP Certification

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) is a process control system designed to identify and prevent microbial and other hazards in food production. Under HACCP integrated Quality Systems Certification which was launched last year, eight companies have been certified during the year under the scheme. This scheme provides a dual benefit of award of certificate for HACCP and ISO 9000 after single audit. This scheme will help the exporters in the field of food and food products specially for export to the countries like USA and Europe.

Accreditation of BIS QSCS

The BIS Quality Systems Certification Scheme (QSCS) has been accredited by Raad voor Accreditatie (RvA) , Netherlands for eighteen major areas of the industry. The accreditation by RvA ensures that ISO 9000 certificates issued under the BIS Scheme are universally accepted.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

Under the Environmental Management Systems Certification Scheme of BIS which was launched last year, 5 licences have been granted during the year to diverse industries such as cement, textile, dyes and chemicals, etc. Among the applications pending for grant of licences, new areas like integrated steel plant, thermal power plant are coming up.

EMS Awareness Programmes

BIS continued to organize awareness programme on ISO 14000 series of standards in order to meet the training needs of the industry for the purpose of implementation of ISO 14001 in their business activities and also apprise them about the EMS Certification Scheme of BIS. During the year BIS conducted 15 such awareness programmes.

प्रयोगशाला सेवाएँ

देशभर में फैली भामा ब्यूरो की 8 प्रयोगशालाओं के नेटवर्क ने भामा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों की संबद्ध भारतीय मानकों के प्रति अनुरूपता परीक्षण करने के लिए परीक्षण सेवाएँ और प्रशिक्षण संबंधी सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा। वर्ष के दौरान भामा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं द्वारा 28 838 परीक्षण रिपोर्टें जारी की गईं, जिनमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल थे, और इनका परीक्षण मूल्य 2.881 करोड़ रुपये था।

गुणता आश्वासन गतिविधियाँ

गुणता पद्धति प्रलेखों (गुणता मैनुअल, कार्यविधियाँ, कार्य संबंधी अनुदेश, प्रपत्र और सूचियाँ), जिनमें आईएसओ/आईईसी गाइड-25 के आधार पर प्रबंध और अच्छी प्रयोगशाला रीतियों के प्रचालन के सभी पहलू और नैशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फार टैस्टिंग एंड कैलीब्रेशन लैबोरेट्री (एनएबीएल) के मानदंड शामिल हैं, के कार्यान्वयन का कार्य केन्द्रीय प्रयोगशाला और सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में किया जा रहा हैं। जैसे ही गुणता पद्धति का कार्यान्वयन हो जाता है, उसका अर्हता प्राप्त तथा प्रशिक्षित आडिटरों द्वारा नियमित अंतराल पर आडिट किया जाता है। इन आडिटरों ने या तो एनएबीएल प्रयोगशाला एसेसर का पाठ्यक्रम पूरा किया हैं या फिर आईएसओ 9000 लीड एसेसर का।

प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन पद्धति के साथ संबद्धता

भामा ब्यूरो की साहिबाबाद स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला ने अपने जीव वैज्ञानिक, रासायनिक, विद्युत तथा यांत्रिक परीक्षण अनुभागों और विद्युत तथा यांत्रिक अंशशोधन अनुभागों के लिए पहले ही एनएबीएल से प्रत्यायन प्राप्त कर लिया है।

मुंबई स्थित पश्चिम क्षेत्रीय प्रयोगशाला भी रासायनिक, विद्युत तथा यांत्रिक परीक्षण के लिए एनएबीएल से प्रत्यायन प्राप्त कर चुकी हैं।

कलकत्ता स्थित पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला भी इस वर्ष अपने यांत्रिक अनुभाग के लिए प्रत्यायन प्राप्त कर चुकी है और इसके रासायनिक और विद्युत अनुभागों में प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, किन्तु औपचारिक प्रत्यायन मिलना अभी शेष है।

चेन्नई स्थित दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला ने एनएबीएल प्रत्यायन के लिए आवेदन दे दिया है और इस वर्ष एनएबीएल द्वारा प्रथम स्तरीय प्रलेखों का पर्याप्तता ऑडिट पूरा किया जा चुका है।

मोहाली स्थित उत्तर क्षेत्रीय प्रयोगशाला एनएबीएल प्रत्यायन के लिए तैयारी कर रही है और आशा की जाती है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान इसे प्रत्यायन प्राप्त हो जायेगा।

LABORATORY SERVICES

The network of eight BIS laboratories spread throughout the country continued to provide testing services and test related activities to undertake conformity testing of BIS certified products against relevant Indian Standards. During the year 28 838 test reports were issued by BIS laboratories covering a wide range of products, the test value being Rs 28.81 million.

Quality Assurance Activities

Quality Systems documentation (Quality Manual, Procedures, Work Instructions, Form and Lists) covering all aspects of management and operation of good laboratory practices based on the ISO/IEC Guide 25 and National Accreditation Board for Testing and Calibration (NABL) Criteria are under implementation in the Central Laboratory as well as all the regional laboratories. The quality system as implemented is audited at regular intervals by qualified and trained auditors who have either undergone NABL laboratory assessor's course or ISO 9000 lead assessors course.

Linkage with National Accreditation System for Laboratories

BIS Central Laboratory at Sahibabad has already obtained NABL accreditation for its biological, chemical, electrical and mechanical testing sections as well as for electrical and mechanical calibration sections.

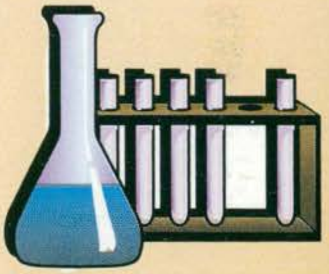

The Western Regional Laboratory at Mumbai too is NABL accredited for Chemical, Electrical and Mechanical testing.

The Eastern Regional Laboratory at Calcutta also received accreditation for its mechanical section during the year and its chemical and electrical sections also completed the process but formal accreditation is awaited.

The Southern Regional Laboratory at Chennai submitted application for NABL accreditation and the adequacy audit of the first level documents by NABL has been completed during this year.

The Northern Regional Laboratory at Mohali is preparing for NABL accreditation and it is expected to obtain accreditation during 1999-2000.

एनएबीएल से प्रत्यायन प्राप्त करने के अतिरिक्त भामा ब्यूरो एनएबीएल प्रत्यायन पद्धति के प्रचालन के लिए संसाधन उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए इसके कई अधिकारी एनएबीएल द्वारा संचालित प्रयोगशाला एसेसर पाठ्यक्रम को पूरा कर चुके हैं, ताकि जब जरूरत हो तो वे मूल्याँकन के रूप में एनएबीएल की सहायता कर सकें।

परीक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन

अपने उच्चस्तरीय मानकों को बनाये रखने के लिए भामा ब्यूरो लगातार अपनी परीक्षण प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए कार्य कर रहा है।

वर्ष के दौरान पश्चिम क्षेत्रीय प्रयोगशाला में छोटे साइज की मोटरों के परीक्षण के लिए एसी अवशोषण डाइनैमोमीटर तथा आईएस **13487** के अनुरूप उत्सर्ज कों के लिए संविरचित परीक्षण उपस्कर लिए गए।

जिरम, पाश्चुरीकृत दूध, बिजली के विकिरकों, इस्पात के दृढ़ कन्ड्यूटों तथा एलपीजी के लिए रबड़ की नलियों के लिए साहिबाबाद स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला में तथा एलपीजी सिलेंडरों, ड्रम क्लोजरों तेल दाब चूल्हे के बर्नरों, एक्सएलपीई केबलों, सॉकेट तथा–प्लग टैपों के लिए मुंबई स्थित पश्चिम क्षेत्रीय प्रयोगशाला में परीक्षण उपकरणों का उन्नयन किया गया।

परीक्षण के लिए ली गई नई मदों में केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में अस्पताल के बैड स्टैंड, पॉलीएस्टर तथा प्रोपीलीन विद्युतरोधलेपित वाइंडिंग तार तथा बेंजलडीहाइड तकनीकी; पश्चिमी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुंबई में उत्सर्जक तथा स्ट्रेनर टाईप फिल्टर एवं पटना प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष क्रिया हथबरमे तथा वेल्डकृत इस्पात की नलिकाएँ हैं।

दक्षता प्रशिक्षण

भामा ब्यूरो ने अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों, जैसे एनसीसीबीएम तथा सीएफटीआरआई द्वारा आयोजित विभिन्न उत्पादों के लिए दक्षता–परीक्षणों में भाग लिया और सराहनीय परिणाम प्राप्त किये।

यह सहभागिता केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में सीमेंट, वनस्पति, बिस्कुटों तथा दूध पाउडर के क्षेत्र में थी, उत्तर क्षेत्रीय प्रयोगशाला मोहाली में दूध पाउडर, वनस्पति तथा सीमेंट के क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुंबई में दूध पाउडर, वनस्पति, सीमेंट, बिस्कुटों तथा चूना पत्थर के क्षेत्रा में, पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कलकत्ता में बिस्कुटों तथा वनस्पति के क्षेत्र में और पटना प्रयोगशाला में बिस्कुटों के क्षेत्र में थी।

इसके अलावा भामा ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला ने खाद्य वस्तुओं के लिए एनएबीएल की ओर से दक्षता परीक्षण के

Besides obtaining NABL accreditation, BIS is providing resources for operation of the NABL accreditation system with a number of officers having undergone the Laboratory Assessor's Course conducted by NABL for assisting NABL as assessors, whenever required.

Modernization and Upgradation of Test Facilities

BIS is constantly working to modernize and upgrade its testing laboratories to maintain its high standards.

During the year major equipment added are AC absorptions dynamometers for testing of small size motors and fabricated test equipment for emitters as per IS 13487 in Western Regional Laboratory.

The facilities were upgraded in the areas of Ziram, pasteurized milk, electric radiators, rigid steel conduits and LPG rubber tubing at Central Laboratory, Sahibabad and LPG cylinders, drum closures, burners for oil pressure stoves, XLPE cables, socket and plug taps at Western Regional Laboratory, Mumbai.

New items taken up for testing included hospital bed stand, polyester and propylene insulated winding wires and benzaldehyde technical at Central Laboratory, Sahibabad; emitters and strainer type filters at Western Regional Laboratory, Mumbai and direct action hand pumps and welded steel tubes at Patna Laboratory.

Proficiency Testing

BIS laboratories participated in proficiency testing of various items organized by international as well as national organizations like NCCBM and CFTRI and obtained commendable results.

The participation was in the area of cement, vanaspati, biscuits and milk powder at Central Laboratory, Sahibabad; milk powder, vanaspati and cement at Northern Regional Laboratory, Mohali; milk powder, vanaspati, cement, biscuits and limestone at Western Regional Laboratory, Mumbai; biscuits and vanaspati at Eastern Regional Laboratory, Calcutta; and biscuits at Patna Laboratory.

In addition, BIS Central Laboratory completed the project of conducting proficiency testing

संचालन की परियोजना भी पूरी की। ये खाद्य वस्तुएँ हैं–बिस्कुट (17 प्रयोगशालाएँ), दूध पाउडर (16 प्रयोगशालाएँ), तथा वनस्पति (15 प्रयोगशालाएँ)। भामा ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला ने स्वयं सीमेंट पर दक्षता परीक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें इसकी अपनी प्रयोगशालाओं के अलावा इसकी सभी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ भी शामिल हुईं। इनकी संख्या 20 थी।

अंशशोधन सुविधाएँ

उन उद्योगों द्वारा अंशशोधन सुविधाओं की अत्यधिक मांग को देखते हुए, जिनके पास या तो आईएओ 9000 प्रमाणन है या जो इसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और भामा ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला का उदाहरण अपनाते हुए चेन्नई स्थित, दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला दाब गेजों तथा विद्युत पैरामीटरों के लिए जनवरी 1999 में बाहरी ग्राहकों (स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा) के लिए खोल दी गई। इसके अलावा मुंबई स्थित पश्चिम क्षेत्रीय प्रयोगशाला ने इस वर्ष दाब गेजों का अंशशोधन करना आरंभ किया।

वाणिज्यिक परीक्षण

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में उपलब्ध परीक्षण की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने की दृष्टि से केन्द्रीय प्रयोगशाला (दिल्ली प्रशासन के लिए सीमेंट) और दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला (रक्षा मंत्रालय के कैंटीन भण्डार विभाग की विभिन्न वस्तुओं) में वाणिज्यिक परीक्षण प्रारम्भ किया गया है। गुवाहाटी प्रयोगशाला ने शुल्क लेकर लाइसेंसधारियों के लिए नमूनों का तन्यता परीक्षण करना जारी रखा।

अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी)

यद्यपि भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाएँ मुख्यतः अनुरूपता परीक्षण में लगी हुई हैं, फिर भी तकनीकी विभागों से प्राप्त अनुरोधों पर ये प्रयोगशालाएँ मानक विकास गतिविधि में सहायता के लिए अनुसंधान और विकास कार्य भी करती हैं, वर्ष के दौरान आईएस 9165 अनुरूप सूचर सुइयों के परीक्षण के क्षेत्र में भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास कार्य किया गया।

भामा ब्यूरो की प्रयोगशाला मान्यता योजना

भामा ब्यूरो की संशोधित प्रयोगशाला मान्यता योजना, 1995 जो आईएसओ/आईईसी गाइड 25 (जनरल रिक्वायरमेंटस फार कम्पीटेंस ऑफ केलिब्रेशन एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज) में दी गई अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के सारूप है और जिसका प्रचालन बाहरी प्रयोगशालाओं को भामा ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना के अंतर्गत लिए गए नमूनों के परीक्षण के लिए उनकी सेवाएँ लेने हेतु मान्यता देने के लिए किया जा रहा है, का कार्यान्वयन 1 अप्रैल 1998 को किया गया। ऐसी 63 बाहरी प्रयोगशालाओं की सूची तैयार करके इसे परिचालित किया गया ताकि विभिन्न क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय इसका

on behalf of NABL for food items biscuits (covering 17 laboratories), milk powder (16 laboratories) and vanaspati (15 laboratories). On its own, BIS Central Laboratory organized a programme of proficiency testing on cement covering all its recognized laboratories besides its own labs, numbering 20.

Calibration Facilities

In view of great demand for calibration facilities from the industry, either seeking or having ISO 9000 certification, and following BIS Central Laboratory's example, Southern Regional Laboratory at Chennai was thrown open to external customers (besides servicing in-house needs) in the areas of pressure gauges and electrical parameters in January 1999. In addition, Western Regional Laboratory at Mumbai initiated calibration of pressure gauges during the year.

Commercial Testing

In order to utilize spare capacity available in BIS laboratories, commercial testing has been commenced in Central Laboratory (cement for Delhi Administration) and Southern Regional Laboratory (various items for canteen stores department of Ministry of Defence). Guwahati Laboratory continued to conduct tensile test for samples for licensees on chargeable basis.

Research and Development (R&D)

Although mainly engaged in conformity testing, BIS laboratories, depending on requests from the technical departments, undertake R&D work to support standards development activity. During the year, R&D work was carried out in BIS Laboratories in the area of testing of Suture needles as per IS 9165.

BIS Laboratory Recognition Scheme

The revised BIS Laboratory Recognition Scheme, 1995, aligned with international system outlined in ISO/IEC Guide 25 (General Requirements for Competence of Calibration and Testing Laboratories) and operated to recognize outside laboratories for utilization of their services mainly to test samples generated from BIS Certification Marks Scheme, was implemented with effect from 1 April 1998. A list of 63 outside labs were compiled and circulated for utilization by various ROs/BOs which increased to 77,

उपयोग कर सकें। यह सूची वर्ष 1998-99 के अंत तक बढ़ कर 77 हो गई है जिसमें संशोधित योजना के अन्तर्गत औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त 8 प्रयोगशालाएँ शामिल हैं।

including 8 formally recognized under the revised scheme, by the end of 1998-99.

अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता

भारतीय मानक ब्यूरो ने रेफरेंस मैटीरियल, रेमको, पर आईएसओ की समिति की 21 वीं बैठक में जेनेवा मे 27-29 अप्रैल 1998 की अवधि के दौरान भाग लिया और 19-23 जुलाई 1998 के दौरान एल्बुकर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल कान्फ्रेंस ऑफ स्टैण्डर्डस लेबोरेटरीज (एनसीएसएल) की वर्कशाप और सिम्पोजियम में भाग लिया, जिसकी भामा ब्यूरो की प्रयोगशाला भी सदस्य है।

International Participation

BIS participated in the twenty first meeting of ISO's Committee on Reference Materials, REMCO, at Geneva on 27-29 April 1998 and Workshop & Symposium of National Conference of Standards Laboratories (NCSL), of which BIS Central Laboratory is a member, at Albuquerque, USA, on 19-23 July 1998.

सतर्कता संबंधी गतिविधियाँ

मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में सतर्कता विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के कार्मिक विभाग से परामर्श और समन्वय रखते हुए कार्यरत है। इसका लक्ष्य खुफिया सतर्कता के अलावा निवारण सतर्कता व्यवस्था के माध्यम से और केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के साथ पठित केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियमों के अनुसार की गई दण्डात्मक कार्यवाही के माध्यम से इस संगठन के कार्यकलापों में शुचिता और सत्यनिष्ठा को बनाये रखना है। सतर्कता विभाग का कार्य मुख्य रूप से ब्यूरो के प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों जैसे प्रमाणन मुहर तथा प्रयोगशाला की गतिविधियों में क्रमबद्ध सुधारों पर बल देना है। ये सुधार शिकायतों की जाँच–पड़ताल तथा लाइसेंसधारी आवेदक की फाइलों और अन्य रिकार्डों की समीक्षा तथा सतर्कता ऑडिट के आधार पर किए जाते हैं। इस प्रकार सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ मुख्य संवेदी क्षेत्रों के लिए निवारक सतर्कता उपाय सुझा कर भामा ब्यूरो की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि लाने की ओर उन्मुख हैं।

1996-97 और 1997-98 में दिए गए 51 सुझावों की तुलना में 1998-99 के दौरान क्रमबद्ध सुधार के लिए 27 सुझाव दिए गए। ब्यूरो में इनमें से अधिकांश सुझावों का कार्यान्वयन परिपत्र तथा अनुदेशों को जारी करके और नए मार्गदर्शी सिद्धांत बना कर किया जा चुका है। अगस्त 1997 में मुद्रित निवारक सतर्कता मैन्युअल का हिन्दी संस्करण भी इस वर्ष समूह "ग" व "घ" के कर्मचारियों के लाभ तथा उनमें जागरूकता लाने के लिए निकाला गया। इसमें सतर्कता मामलों से संबद्ध नियमों के मुख्य प्रावधान और प्रमाणन, प्रयोगशाला, प्रशासन

VIGILANCE ACTIVITIES

The Vigilance Department which is headed by a Chief Vigilance Officer, operates in close consultation and coordination with the Central Vigilance Commission, the Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution as well as the Department of Personnel under the Ministry of Home Affairs. It aims at maintaining purity and integrity in the functioning of this organization through the preventive vigilance mechanism apart from detective vigilance and through punitive actions taken in acordance with the CCS (CCA) Rules read with the CCS (Conduct) Rules. The main thrust of work of the Vigilance Department is in the field of preventive vigilance by suggesting systemic improvements in key sensitive areas of BIS like Certification Marks and Laboratory activities which emanate from investigation of complaints as well as in Vigilance Audits which involves scrutiny of licence/applicant files and other record. The activities of Vigilance Department are thus oriented towards enhancement of efficiency and productivity in BIS by suggesting preventive vigilance measures for key sensitive areas.

During 1998-99, 27 such suggestions for systemic improvements were made as against 51 suggestions made in 1996-97 and 1997-98. A majority of the suggestions have already been implemented in the Bureau through issuance of circulars, instructions, framing of new guidelines. A Hindi version of the Preventive Vigilance Manual printed in August 1997 has also been brought out for the benefit and awareness of Group C and D employees during this year which covers salient provisions of the rules pertaining to vigilance matters and includes features on certification,

तथा खरीद संबंधी गतिविधियों की विशिष्टताएँ दी गई हैं।

पारदर्शिता के लिए और सतर्कता संबंधी विभिन्न नियमों के प्रावधानों के बारे में जागरूकता लाने के लिए सतर्कता विभाग ने विशेषतः प्रमाणन मुहर गतिविधियों और प्रयोगशाला में कार्यरत ब्यूरो के वरिष्ठ प्रबंधवर्ग को प्रशिक्षित करने के लिए मानव संसाधन विभाग के समन्वय से सतर्कता पर कार्यशालाएँ आयोजित कीं। सभी रैंकों और विभिन्न शाखा/और क्षेत्रीय कार्यालयों के 80 अधिकारियों के लिए अन्वेषणकर्ता, प्रस्तुतकर्ता और जाँच अधिकारी के रूप में उनकी कुशलता बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम से कम करके दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलेगी और निर्माताओं, उपभोक्ताओं और अंततः समाज को बेहतर सेवा प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी।

सूचना सेवाएँ

तकनीकी सूचना सेवाएँ

तकनीकी सूचना सेवाएँ उद्योग, निर्यातकों, व्यक्तियों और सरकारी एजेन्सियों को उनके द्वारा की गई पूछताछ के उत्तर में और उन्हें मानकों/तकनीकी विनियमों और प्रमाणन पद्धतियों के बारे में अद्यतन जानकारी देने के लिए प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान इस प्रकार की 5 000 से अधिक पूछताछों के उत्तर दिये गए।

सूचना बुलेटिन

उपयोगकर्ताओं को मानकीकरण और गुणता पद्धतियों के बारे में अद्यतन सूचना से अवगत कराने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो निम्नलिखित सूचना बुलेटिनों का नियमित रूप से प्रकाशन करता है: (i) स्टैंडर्डस इंडिया (मासिक अंग्रेजी पत्रिका), (ii) स्टैंडडर्स वर्ल्डओवर–मंथली एडीशन्स, (iii) करेंट पब्लिश्ड इंफोर्मेशन ऑन स्टैण्डर्डाइजेशन (मासिक), (iv) ई.सी. नार्म स्केन (ई.सी. मानकीकरण समाचार) (त्रैमासिक), (v) स्टैंडर्ड मंथली एडीशन्स, (vi) बीआईएस कैटलॉग, (vii) मानकदूत (त्रैमासिक) हिन्दी पत्रिका, और (viii) एडीशन्स टू लाइब्रेरी बुक्स एन्ड पैमफ्लैट्स।

डाटाबेस सेवाएँ

भामा ब्यूरो ने उद्योग, निर्यातकों तथा मानक निर्धारण के कार्य में लगे व्यक्तियों को बायर्स गाइड, तथा मानकों की संदर्भ सूचियों पर डाटाबेस देना जारी रखा। वर्ष के दौरान 350 से अधिक ग्राहकों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया।

laboratory, administration and purchase activities.

For the sake of transparency and to bring about awareness about the provisions of various vigilance rules, Vigilance Department has organized vigilance workshops in co-ordination with Human Resource Department to train the senior management of the Bureau, especially those working in certification marks and laboratory activities. Specialized training programmes have been imparted to 80 officers drawn from all ranks and various branch and regional offices for enhancement of their skill as Investigating, Presenting & Inquiry Officers. This will further help in achieving higher efficiency levels by minimizing the scope of corruption and will also help in providing better service to manufacturers, consumers and the society at large.

INFORMATION SERVICES

Technical Information Services

Technical Information Services are provided to industry, exporters, individuals and government agencies in response to their enquiries and also to keep them updated on information on standards, technical regulations and certification systems. In this endeavour more than 5 000 enquiries were responded to during the year 1998-99.

Information Bulletins

To keep the users abreast with the latest developments in standardization and quality systems, the following information bulletins are brought out by BIS regularly: (i) Standards India (monthly, English journal), (ii) Standards Worldover— Monthly Additions, (iii) Current Published Information on Standardization (monthly), (iv) EC Norm Scan (Standardization News of E.C.) (quarterly), (v) Standards : Monthly Additions, (vi) BIS Catalogue, (vii) Manakdoot (quarterly Hindi journal), and (viii) Additions to Library, Books and Pamphlets.

Database Services

BIS continued to provide database on Buyers' Guide, Bibliography of Standards to the industry, exporters and to those engaged in standards formulation. These services were availed by more than 350 customers during the year.

बायर्स गाइड —बायर्स गाइड भामा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के अन्तर्गत शामिल उत्पादों का डाटाबेस है। इसमें लाइसेंसधारी का नाम, पता, आईएस संख्या वैधता सहित लाइसेंस संख्या, फर्म की प्रस्थिति आदि शामिल हैं। सूचना फ्लॉपी डिसकेट्स और हार्ड कापी, दोनों पर उपलब्ध है।

संदर्भ सूची सेवाएँ —भामा ब्यूरो विशिष्ट विषयों पर विश्वभर के मानकों की संदर्भ सूची अपनी "मानक संदर्भिका" नामक डाटाबेस के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। इसमें 200 000 से अधिक रिकार्ड हैं।

इश्यूएंस आइडेन्टिफिकेशन नंबर का जारीकरण (आई आई एन)

अन्तर्राष्ट्रीय विनियम में प्रयुक्त पहचान कार्ड के जारीकर्ताओं की पहचान के लिए आईएसओ/आईईसी एक संख्यांकन पद्धति निर्दिष्ट करता है। राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में भामा ब्यूरो कार्ड जारीकर्ताओं और व्यक्तिगत कार्ड धारकों की पहचान के लिए नियम बनाने के लिए उत्तरदायी है। देश के भीतर प्रचालन के लिए विभिन्न कार्ड जारीकर्ताओं का इश्यूअर आइडेन्टिफिकेशन नंबर (आईआईएन) जारी करने के लिए भी भामा ब्यूरो उत्तरदायी है। अन्तर्राष्ट्रीय विनियम (किंतु देश के भीतर प्रचालन के लिए) से संबंधित कार्ड जारीकर्ताओं के लिए भामा ब्यूरो अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) द्वारा नियुक्त पंजीकरण प्राधिकरण को कार्ड जारीकर्ताओं के आवेदन पत्रों को प्रायोजित करने हेतु एक प्रायोजन प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। अभी तक भामा ब्यूरो ने देश के 40 से अधिक प्रमुख बैंकों के आईआईएन जारी करने के बारे में आवेदन पत्र अग्रेषित किए हैं ताकि वह इन आईआईएनों को अपने एटीएम में प्रयोग कर सकें।

वर्ल्ड मैन्यूफेक्चर आइडेन्टिफायर (डब्ल्यू एम आई) कोड

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को वाहन निर्यात करने वाले भारतीय मोटर गाड़ी निर्माताओं को वर्ल्ड मैन्युफेक्चरर आइडेन्टिफायर (डब्ल्यू एम आई) कोड देने का कार्य भी तकनीकी सूचना सेवा केन्द्र को सौंपा गया है। यह कोड वाहन निर्माताओं को इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी पहचान हो सके। और जब इसे वेहिकल आइडेन्टिफायर नंबर (वी आई एन) के शेष अनुभागों के साथ प्रयोग किया जाता है तो यह कोड विश्व के सभी वाहन निर्माताओं के लिए वी आई एन की अनन्यता प्रदान करता है।

पुस्तकालय सेवाएँ

वर्ष के दौरान मुख्यालय और चार क्षेत्रीय कार्यालयों– मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़ और चेन्नई के पुस्तकालय सेवा केन्द्रों के संग्रह में 14 378 पुस्तकें, विदेशी मानक निकायों द्वारा जारी मानकों जैसे प्रलेख और विभिन्न मानकीकरण के कार्यों में कार्यरत विद्वत् सोसाइटियों

Buyer's Guide — Buyers' Guide is a database of products covered under Certification Marks Scheme of BIS and includes name, address of the licensee, IS No., licence no. with its validity, status of the firm, etc. The information is available both on floppy diskettes and hard copies.

Bibliographic Service — BIS has been providing bibliographies of standards worldover on specific subjects through its database entitled 'Manak Sandarbhika'. It has more than 200 000 records.

Issuance of Issuers Identification Number (IIN)

ISO/IEC specifies a numbering system for the identification of issuers of identification cards used in international interchange. BIS as the National Standards Body is responsible for establishing rules for identifying card issuers and individuals card holders. It is also responsible for issue of Issuer Identification Numbers (IIN) to various card issuers for operation within the country. For card issuers involving international interchange (but for operation within the country only) BIS acts as the sponsoring authority to sponsor the application of card issuers to the Registering Authority appointed by ISO. BIS has so far forwarded the applications of more than 40 leading banks of the country for issue of IIN to be used in their ATMS.

World Manufacturer Identifier (WMI) Code

Technical Information Services Centre has also been entrusted with assigning the World Manufacturer Identifier (WMI) Code to Indian Automobile Manufacturers exporting vehicles to international market. The code is assigned to vehicle manufacturers in order to allow identification of the manufacturers and when used in conjunction with the remaining sections of Vehicle Identification Number (VIN) ensures uniqueness of the VIN for all vehicles manufactured in the world.

Library Services

During the year, Library Services Centre (LSC), at the Headquarters and also at its four Regional Offices at Mumbai, Calcutta, Chandigarh and Chennai added to its collection 14 378 books, standards type documents issued by overseas standard bodies as well as publications and standards

और विदेशी संघों द्वारा जारी किए गए प्रकाशन और मानक शामिल किए गए।

कंप्यूटर केन्द्र द्वारा रखी जा रही "मानक संदर्भिका" नामक विश्व के मानकों के यांत्रिक डाटा बेस को अद्यतन बनाने के लिए पुस्तकालय ने आधारभूत सूचना देना जारी रखा। यहाँ प्राप्त किए गए सभी मानकों को डाटा बेस में डालने के लिए कोडबद्ध किया गया। इस डाटा बेस में अब 3 लाख से अधिक रिकार्ड हैं।

विभिन्न वर्गों के 1 350 व्यक्ति और संगठन पुस्तकालय के वर्तमान सदस्य हैं। इनमें से इस वर्ष 100 सदस्य बने। व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों और भा मा ब्यूरो के अधिकारियों और स्टाफ को लगभग 36 445 प्रकाशन/मानक पढ़ने के लिए दिए गए अथवा उनके नाम जारी किए गए।

7 350 आगन्तुकों को संदर्भ सेवाएँ प्रदान की गई। यह कार्य 6 व्यापक विषय संदर्भसूचियाँ तैयार करके और आगन्तुकों को उनकी पसन्द की संदर्भ सामग्री उपलब्ध करा कर किया गया। संदर्भ इकाई ने हाथ से संदर्भ सूची तैयार करके मानक निर्धारण विभागों की सहायता की। इसने व्यापार और उद्योगों द्वारा पूछी गई 4 125 बड़ी और छोटी पूछताछों का उत्तर देकर उनकी सहायता की।

भारतीय मानक मसौदों को अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) द्वारा प्रतिपादित मानकों के अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आईसीएस) के अनुसार कूटबद्ध करने के लिए भी पुस्तकालय सेवा केन्द्र अपनी सेवाएँ प्रदान करता है। वर्ष के दौरान 241 मसौदे कूटबद्ध किए गए।

प्रशिक्षण सेवाएँ

प्रशिक्षण संस्थान

भा मा ब्यूरो द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानकीकरण एवं गुणता प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएसक्यूएम) ने वर्ष 1998-99 के दौरान 63 ओपन और संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जो गुणता पद्धति ऑडिटिंग एवं प्रलेखन, आईएसओ 9000 के प्रति जागरूकता, आईएसओ 9000 के लिए सांख्यिकीय तकनीकों और लीड एसेसर पाठ्यक्रम, आईएसओ 14000 के प्रति जागरूकता तथा आईएसओ 14000 लीड एसेसर पाठ्यक्रम आदि पर थे। इसने उद्योग और सरकारी विभागों के लगभग 1 348 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया।

issued by various learned societies and foreign associations engaged in the work of standardization.

The Library continued to supply basic information for the updation of mechanized database of World Standards called Manak Sandarbhika maintained by Computer Centre. All the standards received here were codified for inputing in the database which now comprises above 3 lakh records.

The library has 1 350 individuals and organizations as current members in various categories. Out of this 100 members have joined during this year. About 36 445 publications/standards were consulted or issued to the representatives of trade and industry as well as officers and staff of BIS.

Reference services were provided to 7 350 visitors by way of preparing 6 exhaustive subject bibliographies and making available the reference materials of their choice. The reference unit fully supported the standard making departments by providing the bibliographies prepared manually. It assisted the Indian trade and industry by answering 4 125 long and short range querries received from them.

Library Services Centre also provided its service for codifying draft Indian Standards as per International Classification for Standards (ICS) propounded by ISO. During the year 241 drafts were codified.

TRAINING SERVICES

Training Institute

The National Institute of Training for Standardization and Quality Management (NITSQM), set up by BIS, conducted around 63 open as well as in-house training programmes on quality system auditing and documentation, ISO 9000 awareness, statistical techniques for ISO 9000 and lead assessors course, ISO 14000 awareness and ISO 14000 lead assessors course, etc, during 1998-99 and trained about 1 348 personnel from industry and government departments.

विदेशी सहभागियों के लिए प्रशिक्षण

विकासशील देशों के लिए 7 अक्तूबर से 4 दिसम्बर 1998 तक मानकीकरण और गुणता पद्धति पर 31वाँ अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 15 देशों के 30 मानक इंजीनियरों ने भाग लिया।

Training to Overseas Participants

Thirtyfirst International Training Programme in Standardization and Quality Systems for developing countries was organized from 7 October to 4 December 1998. 30 Standards Engineers from 15 countries attended the programme.

भामा ब्यूरो के लाइसेंसधारियों/आवेदकों के लिए उत्पाद परीक्षण में प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रत्येक वर्ष भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशलाएँ उद्योगों, विशेषकर अपने लाइसेंसधारियों और आवेदकों की सेवा के लिए उनके परीक्षण कार्मिकों को विभिन्न उत्पादों के परीक्षण में दक्ष बनाने के लिए अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान ऐसे 11 कार्यक्रम आयोजित किए गए। साहिबाबाद की केन्द्रीय प्रयोगशाला ने यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बिजली की इस्तरियों, विसंक्रामक तरल पदार्थों, एलपीजी स्टोवों पर, मोहाली की उत्तर क्षेत्रीय प्रयोगशाला ने अपकेन्द्रीय पम्पों और पीवीसी/एक्सएलपीई केबल पाइपों पर, मुम्बई की पश्चिम क्षेत्रीय प्रयोगशाला ने खाद्य रंगों और उत्सर्जक और छलनी टाइप फिल्टरों पर, कलकत्ता की पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला ने जूट तथा जूट उत्पादों और बिस्कुटों पर, चेन्नई की दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला ने खाद्य रंगों और केबल तथा चालकों पर आयोजित किए। इसके अलावा केन्द्रीय प्रयोगशाला ने कालेज आफ एप्लाइड सांईसिज फार वुमैन, दिल्ली के 3 विद्यार्थियों को खाद्य वस्तुओं तथा पैकेजिंग के परीक्षण के लिए 8 सप्ताह के ग्रीष्मकाल प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदान की।

Training Programmes in Product Testing for BIS Licensees/Applicants

Every year BIS laboratories, as a service to the industry, especially its licensees and applicants, organize short term training programmes to impart proficiency in testing of various products to their testing personnel. During 1998-99, 11 such programmes were organized on Electric Irons, Disinfectant fluids, and LPG stoves by Central Laboratory, Sahibabad; Centrifugal pumps and PVC/XLPE Cables pipes by Northern Regional Laboratory, Mohali; Food colours and emitters and strainer type filters by Western Regional Laboratory, Mumbai; Jute and jute products and Biscuits by Eastern Regional Laboratory, Calcutta; and Food colours and cables and conductors by Southern Regional Laboratory, Chennai. Besides, Central Laboratory also accepted 3 students of College of Applied Sciences for Women, Delhi for 8-week summer training in testing of food items and packaging.

उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ

भामा ब्यूरो ने अपनी गतिविधियों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता संगठनो द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों और प्रदर्शनियों में भाग लेकर उपभोक्ता जागरूकता बढ़ायी। इन कार्यक्रमों के दौरान सहभागियों को विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेशों, ISI चिन्हन के दुरूपयोग पर जुर्माने, उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया इत्यादि के बारे में जानकारी दी गयी।

अनिवार्य प्रमाणन पर एक विवरणिका प्रकाशित की गई है जिसमें पृष्ठभूमि और विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेशों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के विवरण दिए गए हैं। उपभोक्ताओं से सरोकार रखने वाले विषयों पर भा मा ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विवरणिकाओं का असमिया भाषा में अनुवाद कराया गया है, जो अभी मुद्रणाधीन है।

CONSUMER RELATED ACTIVITIES

BIS promoted consumer awareness regarding BIS activities by conducting consumer awareness programmes and by participation in seminars/workshops/conferences and exhibitions organized by consumer organizations through its network of regional and branch offices. During these programmes, participants were informed about various Quality Control Orders, penalities for misuse of ISI Mark, Consumer Protection Act, consumer grievances redressal mechanism, etc.

A brochure on mandatory certification giving background and the details of the items covered under various quality control orders has been published. The brochures on the subjects of consumer interest published by BIS have been translated into Assameese and are under print. The second meeting of Consumer Policy

उपभोक्ता नीति सलाहकार समिति की दूसरी बैठक 2 दिसम्बर 1998 को आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के गठन और भारतीय मानक निर्धारण के लिए तकनीकी समितियों में उपभोक्ता संगठनों की लगातार सहभागिता के बारे में चर्चा की गई। भारतीय मानक ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने उपभोक्ता कल्याण निधि और केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में भाग लिया। यह परिषद देश के आम उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक शीर्ष प्राधिकरण है।

उपभोक्ता दिवस

15 मार्च 1999 को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री द्वारा किया गया। उपभोक्ता संरक्षण के लिए भविष्य की कार्य योजना विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक सहभागियों ने भाग लिया।

जन शिकायतें

भामा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों के संबंध में उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए हर महीने उनकी समीक्षा और मॉनीटरी की जाती है। निरंतर मॉनीटरी से 31 मार्च 1999 तक लंबित शिकायतों की संख्या गतवर्ष की संख्या 51 से घटकर 32 हो गयी (*देखें* आकृति 5)। भा मा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों को छोड़ कर अन्य सार्वजनिक शिकायतों के बारे में केवल छिटपुट मामले ही थे और अधिकतर ये शिकायतें मौखिक ही थीं, इन सभी मामलों को निपटाने के लिए तुरंत कार्यवाही की गई।

आंतरिक शिकायतें

शिकायतों को तेजी से निपटाने के लिए भामा ब्यूरो के विभिन्न स्टाफ सदस्यों से प्राप्त शिकायतों की प्रतिमाह समीक्षा की जाती है। लगातार मॉनीटरी के फलस्वरूप 31 मार्च 1998 को लम्बित 10 शिकायतों की तुलना में 31 मार्च 1999 को लम्बित शिकायतों की संख्या 8 ही रह गई।

अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण गतिविधियों में सक्रिय रहने के लिए ब्यूरो ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी) की प्रशासनिक और चुनिंदा तकनीकी समितियों में भाग लेना जारी रखा। भामा ब्यूरो ने इंडियन ओशन रिम–एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन (आईओआर–एआरसी) की प्रथम बैठक में अग्रणी भूमिका निभायी। विद्युत तकनीकी इंजीनियरी

Advisory Committee was held on 2 December 1998. The setting up of National Safety Commission and continued participation of consumer organizations in the technical committees for formulation of Indian Standards was discussed. The meeting of the Consumer Welfare Fund and Central Consumer Protection Council, the apex authority providing protection to common consumers in the country, were attended by senior officers of BIS.

Consumers Day

The World Consumers Day was celebrated on 15 March 1999. The programme was inaugurated by Hon'ble Union Minister for Chemicals and Fertilizers, Food and Consumer Affairs. A seminar on future agenda for consumer protection was organized. The programme was attended by over 100 participants.

Public Grievances

Complaints regarding BIS certified products received from consumers are being reviewed and monitored every month to provide speedy redressal to the complainants. With constant monitoring, the number of pending complaints as on 31 March 1999 has been brought down to 32 as against 51 pending last year (*see* Fig. 5). Regarding public grievances other than of BIS certified products, there are only stray cases, mostly in verbal and immediate actions were taken for redressal of the same.

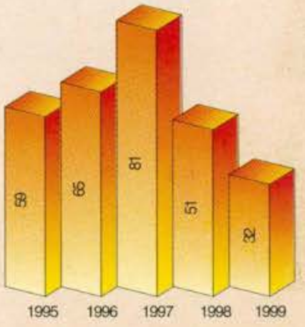

आकृति 5–लंबित शिकायतों की संख्या (31 मार्च को)

Fig. 5–Number of Complaints pending (As on 31st March)

Internal Grievances

Grievances received from different BIS staff are being reviewed every month to provide speedy redressal to the grievances. With constant monitoring the number of pending complaints as on 31 March 1999 has been brought down to 8 as against 10 pending as on 31 March 1998.

INTERNATIONAL ACTIVITIES

The Bureau continued to take an active part in the International Standardization activities by participating in the administrative and selected technical committees of the International Organization for Standardization (ISO) and International Electrotechnical Commission (IEC). BIS took leading part in the First Meeting of Indian Ocean Rim — Association for

के क्षेत्र में मानकीकरण के विकास और प्रमाणन गतिविधियों में भामा ब्यूरो के महानिदेशक श्री पी. एस. दास द्वारा दिए गए योगदान को मान्यता देने के लिए इन्टरनेशनल एकेडमी ऑफ इलैक्ट्रोटेक्निकल साइंसिज (आईएईएस), रशिया ने उन्हें डिप्लोमा प्रदान किया। ब्यूरो ने अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए। इसके अन्तर्गत ब्यूरो ने भूटान के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये और क्यूबा के साथ किए गए समझौते ज्ञापन का भी नवीकरण किया।

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)

आईएसओ महासभा की इक्कीसवीं बैठक 16-17 सितम्बर 1998 को जिनेवा में सम्पन्न हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अपर सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने किया। विचार–विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

— राष्ट्रीय मानक निकाय व्यापारिक समझौते करने वाले दलों का भाग हो;

— तकनीकी समितियों के कार्य की मानीटरी के संबंध में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय बोर्डों का सृजन;

— प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन का आधार आईएसओ/आईईसी मार्गदर्शिकाएँ हों

आईएसओ डेवको

डेवलपिंग कंट्री मैटर्स (डेवको) पर आईएसओ कमेटी की 32वीं बैठक 14-15 सितम्बर 1998 को जिनेवा में सम्पन्न हुई। इस बैठक में उपरोक्त प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। भामा ब्यूरो के महानिदेशक श्री पी.एस. दास ने दक्षिण एवं मध्य एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय संपर्क अधिकारी (आरएलओ) के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने विकासशील देशों द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न समस्याओं पर बात की, जैसे आईएसओ स्टैण्डर्डस कमेटी मीटिंगों में विकासशील देशों की सहभागिता, प्रत्यायन निकायों का गठन, सर्टिफाइड रेफरेंस मैटीरियल (सीआरएम) प्राप्त करना, विकासशील देशों के लिए आवश्यक अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का विकास और मानक निर्धारण गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी अपनाना। इस बैठक में निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई:–

– भारत द्वारा गहराई से पानी निकालने के हथबरमों पर प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय मानक बनाना

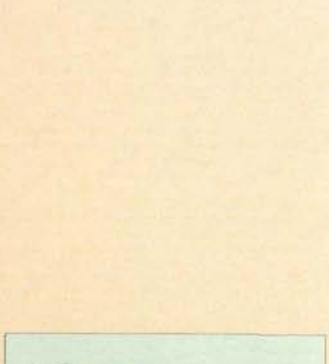

Regional Cooperation (IOR-ARC). DG, BIS Shri P S Das was conferred diploma by the International Academy of Electrotechnical Session (IAES), Russia in recognition of the contribution made in the development of Standardization and Certification activities in the area of electrotechnical engineering. The Bureau also continued its efforts towards strengthening bilateral relations with other countries. In this endeavour, Bureau signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Bhutan and renewed the MoU with Cuba.

International Organization for Standardization (ISO)

Twentyfirst meeting of ISO General Assembly was held in Geneva on 16-17 September 1998. In this meeting, India was represented by a delegation headed by Additional Secretary, Ministry of Food and Consumer Affairs. The deliberations led to the following important decision:

— National Standards Bodies to be part of the trade negotiating teams

— Creation of Sectoral Boards for better service to be obtained in terms of monitoring the work of Technical Committees

— ISO/IEC Guides to be the basis for accreditation of certification bodies

ISO DEVCO

The Thirtysecond meeting of ISO Committee on Developing Country Matters (DEVCO) was held on 14-15 September 1998 in Geneva. These meetings were attended by the above delegation. Shri P. S. Das, DG, BIS presented his report as RLO for South and Central Asia Region. He touched upon the various problems being faced by the developing countries such as, participation by developing countries in ISO standards committee meetings, setting up of accreditation bodies, procurement of Certified Reference Material (CRMs), development of International Standards needed by developing countries and adoption of Information Technology in standards formulation activity. The major issues discussed were as follows:

— Development of International Standard on Deepwell Hand Pumps proposed by India

- आईएसओ परिषद् में विकासशील देशों की सहभागिता बढ़ाने के और उपाय तलाशने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया गया।
- भारत द्वारा नागरिक चार्टर पर किए गए कार्य की सराहना की गई और आईएसओ ने ऐसी ही अन्य परियोजनाएँ लेने की संभावनाएँ तलाशने का निर्णय लिया।

भामा ब्यूरो के महानिदेशक श्री पी.एस. दास आईएसओ परिषद, जो आईएसओ प्रचालन का नियंत्रण करती है, के भी सदस्य हैं।

उपभोक्ता बैठकों के अलावा ब्यूरो के विभिन्न प्रतिनिधियों ने विभिन्न नीति बनाने वाली समितियों जैसे सीएएससीओ, आईएनएफसीओ की बैठकों में भी समय–समय पर भाग लिया, ताकि विकासशील देशों के विचार रखे जा सकें।

अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी)

ब्यूरो आईईसी की विभिन्न तकनीकी समितियों और उपसमितियों की बैठकों में भाग लेता रहा है।

ब्यूरो अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग परिषद बोर्ड में भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग परिषद् बोर्ड (आईईसीसीबी) वह निकाय है, जो आईईसी परिषद् की नीतियों का कार्यान्वयन करता है और इसके लिए नीतिगत संस्तुतियाँ भी करता है। परिषद् बोर्ड (सीबी) निर्णय लेने वाला निकाय है, जो परिषद् और कार्रवाई समिति की कार्यसूची पृष्ठांकित करता है और दस्तावेज तैयार करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग परिषद् की 62वीं बैठक दिनांक 21 अक्तूबर 1998 को ह्यूसटन में सम्पन्न हुई। भारत का प्रतिनिधित्व श्री पी.एस. दास, महानिदेशक, भामा ब्यूरो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने किया। अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग ने अपनी बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए:

- बाजार की प्रासंगिकता को देखते हुए आईईसी ऐसे मानक बनाये जो सामयिक हों और बाजार की आवश्यकता को पूरा करते हों।
- तीव्र गति से विकसित होती प्रौद्योगिकी के मद्देनजर बाजार की नयी माँगों को पूरा करने के लिए आईईसी उद्योगों को प्रोत्साहित करें कि वे नये उत्पादों के लिए हाल ही में लांच की प्रमुख योजनाओं अर्थात् सार्वजनिक रूप से उपलब्ध–आईईसी विशिष्टियाँ, उद्योगों के तकनीकी करार (आईटीए) और प्रौद्योगिकी व्यापार मूल्यांकनों (टीटीएएस) को अपनाएँ।

- A Working Group was created to further explore ways of increasing the participation of developing countries in ISO council.
- Work done by India on citizen's charter was appreciated and ISO decided to explore the possibilities of taking up similar project.

Shri P. S. Das, DG, BIS is also a member of ISO Council which governs the operation of ISO.

Besides the above meetings, several delegations from the Bureau also attended the various policy development committee meetings like CASCO, INFCO from time to time so as to present the views of the developing countries.

International Electrotechnical Commission (IEC)

The Bureau has been attending meeting of the various Technical Committees and Sub-committees of IEC.

Bureau also represents India on the IEC council board. IEC CB is the body that implements the IEC council policy and makes policy recommendations to it. The CB is a decision making body which also endorses the agendas and prepares documents for council and committee of action.

The Sixtysecond IEC council meeting was held on 21 October 1998 in Houston. India was represented by a delegation headed by Shri P. S. Das, DG, BIS. IEC council took the following decisions:

- Looking at the market relevance, IEC to produce standards that are timely and responsive to the market needs.
- In order to meet new market demands in rapidly developing technology, IEC to encourage industry to follow recently launched major initiatives for new products, namely, IEC Publicly Available Specifications, Industry Technical Agreement (ITA) and Technology Trade Assessments (TTAs).

- सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईईसी अपने आईईसी प्रकाशनों की बिक्री और वितरण इन्टरनेट अथवा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू के माध्यम से सुनिश्चित करे।
- आईईसी ने उन विकासशील देशों जिनमें औद्योगिकीकरण हो रहा है, को अपनी गतिविधियों में भाग लेने के लिए सहायता देने की आवश्यकता महसूस की। इसका उद्देश्य इन देशों में बिना मूल्य के आईईसी के मानकों के उपयोग को बढ़ावा देना और औद्योगिक वातावरण के निर्माण में उनकी सहायता करना है।

क्षेत्रीय संपर्क अधिकारी का दौरा

दक्षिण और मध्य एशिया क्षेत्रा के आईएसओ के क्षेत्रीय संपर्क अधिकारी (आर एल ओ) के रूप में भामा ब्यूरो के महानिदेशक श्री पी.एस. दास ने बंगलादेश स्टैण्डर्डस एंड टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट (बीएसटीआई), बंगलादेश और नेपाल ब्यूरो ऑफ स्टैण्डर्डस एंड मैट्रोलोजी (एन बी एस एम), नेपाल का दौरा किया। इस क्षेत्र के अन्तर्गत बंगलादेश, भारत, ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका, उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। इस दौरे का उद्देश्य इन देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण की गतिविधियों में भाग लेने के लिए उत्साहित करना और विकासशील देशों के सामने आ रही समस्याओं से आईएसओ को अवगत कराना है।

क्षेत्रीय सहयोग के लिए इंडियन ओशन रिम एसोशिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन (आईओआर–एआरसी) के देशों के बीच आपसी सहयोग

आईओआर–एआरसी वर्ष 1997 में बनी इस संस्था में 14 सदस्य–आस्ट्रेलिया, भारत, इण्डोनेशिया, केन्या, मैडागास्कर, मलेशिया, मॉरीशस, मोजीम्बीक, ओमान, सिंगापुर, दक्षिण एशिया, श्रीलंका, तनजानिया और यमन शामिल हैं।

इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- क्षेत्र की धारणीय वृद्धि और संतुलित विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए सर्वनिष्ठ पृष्ठभूमि तैयार करना,
- आर्थिक सहयोग के उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना जो पारस्परिक हितों और लाभों के विकास के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान कर रहा है,
- उदारीकरण को बढ़ावा देना और क्षेत्रों के भीतर वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के उन्मुक्त तथा और अधिक प्रवाह के लिए बाधाएँ और रूकावटें हटाना,

- For increased use of information technology, IEC aims to support sale and distribution of IEC publications via Internet or WWW.
- IEC recognized the need to assist developing industrializing countries to participate in IEC activities. The aim is to promote use of IEC standards at no cost to these countries, and help build at industrial environment.

Visits of RLO

As Regional Liaison Officer (RLO) of ISO for South and Central Asia Region, Shri P. S. Das, DG, BIS visited Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI), Bangladesh and Nepal Bureau of Standards and Metrology (NBSM), Nepal. Bangladesh, India, Iran, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Nepal and Turkmenistan are covered under the Region. The objective of the visit is to encourage countries to take part in international standardization activities and to bring the problems faced by developing countries to the knowledge of ISO.

Cooperation Among Countries of Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)

The IOR-ARC came into being in the year 1997. This Association comprises of 14 members. Australia, India, Indonesia, Kenya, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Mozambique, Oman, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Tanzania and Yemen.

The major objectives of this association are:

- To promote the sustained growth and balanced development of the region and to create common ground for regional economic cooperation.
- To focus on those areas of economic cooperation which provide maximum opportunities to develop shared interests and reap mutual benefits.
- Towards promoting liberalization, to remove impediments to and lower barriers towards free and enhanced flow of goods, services, investment and technology within the region.

iii) संगत प्रमाणन पद्धति स्थापित करना;

iv) सर्वनिष्ठ सरोकारों के बारे में प्रशिक्षण और अर्हता कार्यक्रमों का विकास और विस्तार करना;

v) विशेषज्ञों और व्यावसायिकों का आदान–प्रदान।

यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) क्यूबा और भारत के बीच संबंधों को पुनः जीवित करेगा और दोनों देशों के बीच व्यापार की प्रगति के लिए सेतु का कार्य करेगा।

आधुनिकीकरण कार्यक्रम

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) की सूचना प्रौद्योगिकी की नीतियों के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण गतिविधियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को भविष्य में इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराने के लिए भामा ब्यूरो ने अपने मानक निर्धारण विभागों के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

मानव संसाधन विकास

भामा ब्यूरो में 31 मार्च 1999 को कुल 2242 व्यक्ति नियोजित थे। 1998-99 के दौरान भामा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों में कर्मचारियों का अभिनियोजन इस प्रकार है:

iii) establish compatible certification systems,

iv) elaborate and develop training and qualification programmes of common interest, and

v) exchange of experts and professionals.

The MoU would revive the relationship between Cuba and India and provide a bridge for promotion of trade between the two countries.

Modernization Programme

In line with ISO's information technology strategies for international standardization activities concerning availability of International Standards only in electronic form in future, BIS has initiated a modernization programme for its standards formulating department.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

As on 31 March 1999, a total of 2242 persons were employed in BIS. The deployment of personnel in the various activities of BIS during 1998-99 is given below:

गतिविधि Activity	31 मार्च 1999 को कार्मिकों का अभिनियोजन Deployment of Personnel as on 31 March 1999
कोरपोरेट Corporate	39
मानक निर्धारण Standards Formulation	273
प्रमाणन Certification	1181
प्रयोगशालाएँ Laboratories	185
तकनीकी सहायी सेवाएँ Technical Support Services	213
प्रशासन एवं वित्त Administration and Finance	351
कुल Total	2242

अनुसूचित जाति / जन जाति प्रतिनिधित्व
SC/ST Representation

समूह Group	31 मार्च 1998 को अनुसूचित जाति / जनजाति के कर्मचारियों की संख्या *No. of SC/ST Personnel as on 31 March 1998*	31 मार्च 1999 को अनुसूचित जाति / जनजाति के कर्मचारियों की संख्या *No. of SC/ST Personnel as on 31 March 1999*
क A	68	80
ख B	33	77
ग C	170	124
घ D	165	162
कुल Total	436	443

कर्मचारी कल्याण

भामा ब्यूरो द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपाय, जैसे सामूहिक बीमा योजना और हॉली डे होम जारी रखे गए। इए वर्ष शिमला (हिमाचल प्रदेश) में एक और पाँच सूट वाला हॉली डे होम स्थापित किया गया।

संस्थागत प्रशिक्षण

वर्ष 1998-99 के दौरान 267 कर्मचारियों के लिए 7 क्षेत्रों में 14 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 713 कार्यदिवस लगे, जिसमें सभी स्तरों के कर्मचारी शामिल थे। इनमें कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं: ऑफिस मैनुअल, समूह "ग" "घ" के कर्मचारियों के लिए दक्षता / उत्पादकता में वृद्धि और आत्मसुधार, प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों, पूछताछ अधिकारियों और जाँच अधिकारियों के लिए सतर्कता कार्यक्रम, इन्टरनेट, डब्ल्यूएस 6, विन्डो 95, और एमएस आफिस 97, इत्यादि।

बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण

संस्थागत प्रशिक्षण के अतिरिक्त भामा ब्यूरो के 42 कर्मचारियों को बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित 26 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया, जिनमें 257 मानवदिवस लगे। कुछ महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जल विश्लेषण; नौकरियों में अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी निर्देशों का कार्यान्वयन; परीक्षण तकनीकें; उपकरणों का अंशशोधन; फुटवियर परीक्षण; एचएसीसीपी प्रमाणन / ऑडिट; भवनों को जल–सह बनाना; प्रयोगशाला का आंतरिक ऑडिट; उद्यम स्तर पर मानव संसाधन योजना; पुस्तकालय प्रबन्ध और सूचना सेवाओं में मानवीय

Staff Welfare

Welfare measures adopted by BIS for its employees such as Group Insurance Scheme and Holiday Homes were continued. This year another Holiday Home consisting of five suits has been set up at Shimla (Himachal Pradesh).

In-House Training

During 1998-99, 14 programmes in 7 areas for 267 personnel covering 713 man-days involving all levels of employees were organized. Some of the important areas are office manual, increasing efficiency/productivity and self improvement for Group C and D employees, vigilance programme for presenting officers, inquiry officer and investigating officer, internet, WS 6, Windows 95, MS Office 97, etc.

Training by Outside Agencies

Besides the In-House Training Programmes, 42 personnel of BIS were deputed for training by outside agencies in 26 different training programmes covering 257 man-days. Some of the important training programmes are on water analysis, implementation of reservation directives for SC/ST/OBC in services, testing techniques, calibration of instruments, footwear testing, HACCP certification/audit, waterproofing of building, laboratory internal audits, human resource planning at enterprise level, human relation in library management and information services, administrative

संबंध; प्रशासनिक सतर्कता; व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति, पर्यावरण प्रबन्ध पद्धति इत्यादि शामिल हैं।

कंप्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचलन

उद्योगों की आवश्यकता के साथ गति बनाए रखने के लिए तथा उपभोक्ताओं और उद्योगों को अधिक शीघ्र और विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराने के लिए भामा ब्यूरो ने मानक निर्धारण और प्रमाणन जैसे विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यालय ऑटोमेशन के अपने प्रयास जारी रखे।

भारतीय मानकों की पूरी पाठ सामग्री का इलैक्ट्रॉनिक स्टोरेज तथा रिट्रीवल प्रणाली

मानकों और भामा ब्यूरो के अन्य प्रकाशनों की पूरी पाठ सामग्री का इलैक्ट्रॉनिक स्टोरेज तथा रिट्रीवल प्रणाली बनाने का परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है और परियोजना के निष्पादन के लिए एक बाहरी एजेन्सी को ठेका दिया जा रहा है। परियोजना के निष्पादन के बाद मानक सीडी रोम पर उपलब्ध होगें। इससे विभिन्न बिक्री केन्द्रों में सभी मानकों की तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित होगी और मुद्रित मानकों की इन्वेंटरी में कमी भी आएगी। उपयोगकर्ता के पास भी सीडी–रोम पर मानकों को प्राप्त करने की सुविधा होगी जो विकसित देशों में अपनाई जा रही आधुनिक प्रवृत्ति है।

अग्निशमन के लिए विशेषज्ञ प्रणाली

यह साफ्टवेयर राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग 4 की संस्तुतियों के आधार पर अग्नि बचाव प्रणाली को डिजाइन करने में सहायता करेगा। यह साफ्टवेयर विभिन्न अपेक्षाओं के लिए प्रभावी और शीघ्र सूचना देने में सक्षम होगा ताकि आग से वांछित कोटि का बचाव हो सके। यह साफ्टवेयर परीक्षण की अंतिम अवस्था में है और यह आशा की जाती है कि यह शीघ्र ही उपयोग के लिए रिलीज हो जाएगा।

इन्टरनेट पर भामा ब्यूरो का होम पेज

इन्टरनेट के माध्यम से ग्राहकों और उद्योग तक पहुंचने के लिए भामा ब्यूरो ने पिछले वर्ष अपना होम पेज प्रारम्भ किया था। वेब साइट पर आगन्तुकों की निरन्तर बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेब पेजों में और अधिक सूचना डाली गई है। भामा ब्यूरो का होम पेज इन्टरनेट पर निम्न पते पर है: http://wwwdel. vsnl. net. in/bis.org

ई–मेल / इंटरनेट सुविधा

ई–मेल का मुख्यालय में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। सभी क्षेत्रीय / और शाखा कार्यालयों को

vigilance, occupational health safety management systems, environmental management systems, etc.

COMPUTERIZATION AND OFFICE AUTOMATION

In order to keep pace with the need of industries and to provide speedier and reliable information to consumer and industry, BIS continued its efforts towards office automation in various functional areas like standards formulation and certification.

Electronic Storage and Retrieval System for Full Text of Indian Standards

The project to create electronic storage and retrieval system for full text of standards and other BIS publications has been finalized and the contract for execution of the project is being awarded to an outside agency. On execution of the project, standards would be available on CD-ROMs. This would ensure ready availability of all the standards and also reduce the inventory of printed standards at various sales points. The user will also have the facility to procure standards on CD-ROM, which is the modern trend followed in advanced countries.

Expert System for Fire Fighting

The software would help designing of the fire protection system based on recommendation of National Building Code, Part 4. The software would be able to provide effective and quicker information on various requirements to ensure desired degree of protection from fire. The software is at final testing stage and is expected to be released soon.

BIS Home Page on Internet

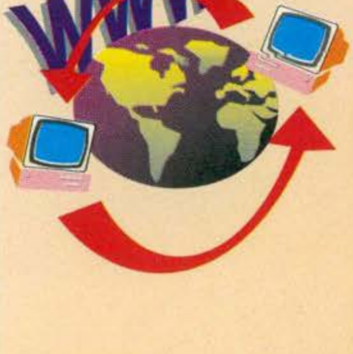

BIS had hosted its Home Page last year to reach the customer and industry through internet. More volume of information has been incorporated in the web pages to cater to the ever increasing need of the visitors to the web site. The Home Page of BIS is available on internet at : http://wwwdel.vsnl.net.in/bis.org

E- Mail/Internet Facility

E-mail is being widely utilized at the headquarters. Steps are being taken to

इन्टरनेट/ई–मेल मुहैया कराने के लिए कार्यवाही की जा रही हैं। इससे डाटा/संदेश के इलैक्ट्रॉनिकी प्रसारण में सहायता मिलेगी और संचार लागत में उल्लेखनीय बचत होगी। अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ प्रभावी संचार के लिए यह सुविधा शीघ्र ही उन विभागों को भी उपलब्ध कराई जाएगी जिनके पास आईएसओ सचिवालय हैं।

provide Internet/E-mail to all regional and branch offices. This would facilitate electronic transmission of data/messages, and would effect substantial savings in communication cost. The facility is also being made available shortly to the departments holding ISO secretariats for effective communication with international bodies.

वित्त, लेखा और लेखा–परीक्षा

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

ब्यूरो दसवें क्रमिक वर्ष में भी अपने गैर–योजना व्यय को वहन करने के लिए भारत सरकार की बजट संबंधी सहायता के बिना आत्म–निर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहा।

For the tenth consecutive year, BIS achieved the goal of self reliance in meeting its non-plan expenditure without any budgetary support from the Government of India.

राजस्व (गैर–योजनागत)

Revenue (Non-Plan)

वर्ष 1998-99 के दौरान कुल आय 53.966 करोड़ रुपये थी। इस आय में सबसे अधिक योगदान प्रमाणन मुहरांकन शुल्क का रहा। यह शुल्क पिछले वर्ष के 42.950 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 48.947 करोड़ रुपये था (*देखें* आकृति 6).

Total income during the year 1998-99 was Rs 539.66 million. The largest contribution to the income was certification marking fee which stood at Rs 489.47 million against Rs 429.50 million in the previous year (*see* Fig. 6).

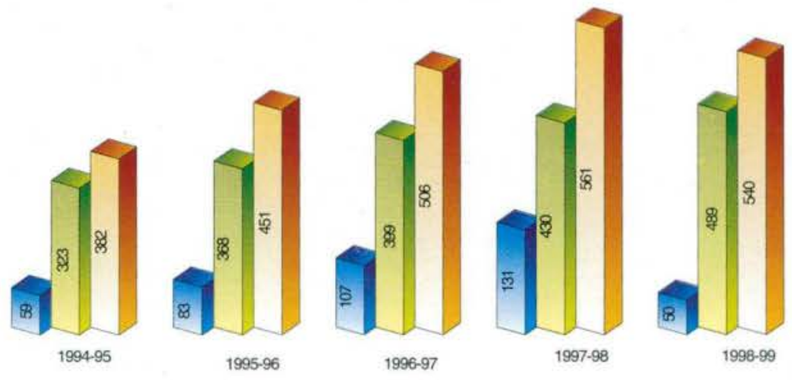

आकृति 6—आय (दस लाख रुपये में)
Fig. 6— Income (In Million Rupees)

	1997-98	1998-99	वृद्धि / कमी (–) increase/ decrease(-)
	(रुपये दस लाख में) (Rupees in millions)		
आय INCOME			
प्रमाणन शुल्क Cretification Fee	429.50	489.47	14 %
मानकों की बिक्री Sale of Standards	24.59	24.20	(-) 2 %
गुणता पद्धति Quality System Fee	17.40	17.86	3 %
जमा पर ब्याज Interest on Deposits	80.84	0.00	(-) 100 %
विविध आय Misc. Income	8.89	8.13	(-) 9 %
कुल योग **TOTAL**	**561.22**	**539.66**	**(-) 4 %**
व्यय EXPENDITURE			
वेतन और भत्ते Pay & Allowances	261.00	317.57	22 %
सेवानिवृत्ति लाभ Retirement Benefits	55.75	46.18	(-) 17 %
अन्य प्रचालन संबंधी व्यय Other Operating Expenses	149.43	153.40	3 %
मूल्यह्रास Depreciation	16.15	15.45	(-)4%
कुल योग **TOTAL**	**482.33**	**532.60**	**10.4**
अधिशेष SURPLUS	78.89	7.06	(-) 91 %

3228(Misc) 2
2001-08-08

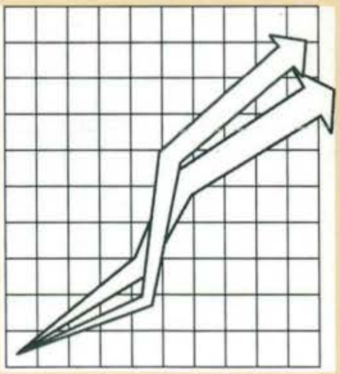

31 मार्च 1999 को बैलेन्स शीट (पक्का चिट्ठा)
BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 1999

	अनुसूची SCHEDULE		31.3.99 को AS ON 31 MARCH 99		31.3.98 को AS ON 31 MARCH 98
निधि के स्रोत SOURCES OF FUNDS					
पूँजी निधि Capital Fund	एन N		273458518		826262473
रिजर्व और निधियाँ Reserves and Funds	ओ O		1070875612		355813267
ऋण Loans	पी P		35200000		40400000
	योग **TOTAL**		**1379534130**		**1222475740**
निधियों का उपयोग APPLICATION OF FUNDS					
अचल परिसम्पत्तियाँ Fixed Assets	क्यू Q		189596086		124571667
निवेश Investments	आर R		933275808		835867882
कार्यकारी पूँजी WORKING CAPITAL					
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम Current Assets, Loans and Advances	एस S	280082812		286653099	
नामे: चालू देयता Less: Current Liabilites	टी T	23420576	256662236	24616908	262036191
	योग **TOTAL**		**1379534130**		**1222475740**

टिप्पणी:
NOTES :

1) अनुसूची ए से टी तक लेखा का भाग है।
SCHDULES A to T form part of Accounts.
2) भारतीय मानकों के क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य नहीं आँका गया है और लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
The closing stock of Indian Standards has not been valued and included in the accounts.

हस्ता. / Sd./-	हस्ता. / Sd./-	हस्ता. / Sd./-
(पी.एस. दास)	(बी.जी. शंकरराव)	(एच.आर. आहूजा)
महानिदेशक, भामाब्यूरो	उपमहानिदेशक (वित्त), भामाब्यूरो	निदेशक (वित्त), भामाब्यूरो
(P. S. DAS)	(B. G. SANKARA RAO)	(H. R. AHUJA)
DIRECTOR GENERAL, BIS	DY DIR GEN FIN, BIS	DIR (FINANCE), BIS

31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 1999

	अनुसूची **SCHEDULE**	चालू वर्ष **CURRENT YEAR 1998-99**	पिछला वर्ष **PREVIOUS YEAR 1997-98**
आय **INCOME**			
1. प्रमाणन शुल्क Certification Fees		489470406	429496214
2. गुणता पद्धति प्रमाणन शुल्क Quality System Certification Fees		17857791	17399676
3. मानकों की बिक्री Sale of Standards	ए A	24198540	24587576
4. अन्य आय Other Income	बी B	8134388	89733139
5. सरकारी अनुदान Govt Grant		—	—
योग **TOTAL**		539661125	561216605
व्यय **EXPENDITURE**			
1. वेतन और भत्ते Pay and Allowances	सी C	317572599	260998620
2. सेवा निवृत्ति लाभ Retirement Benefits	डी D	46183119	55754303
3. अन्य स्टाफ लाभ Other Staff Benefits	ई E	15237615	14493301
4. यात्रा व्यय Travelling Expenses	एफ F	22251612	16893204
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे Subsciption to International Organizations	जी G	11563539	11559045
6. उत्पादन Production	एच H	4683177	5027987
7. परीक्षण Testing	आई I	30311087	23887926
8. प्रचार Publicity	जे J	4091651	4333152
9. कार्यालय व्यय Office Expenses	के K	40460825	37240902
10. मरम्मत व रखरखाव Repairs and Maintenance	एल L	11859787	10584430
11. अन्य व्यय Other Expenses	एम M	12772697	25379931
12. विश्व बैंक परियोजना राजस्व व्यय World Bank Project Revenue Expenses	एम 1 M1	163935	30782
13. मूल्यह्रास Depreciation	क्यू Q	15450053	16145133
योग **TOTAL**		532601696	482328716
व्यय से आय की अधिकता Excess of income over expenditure		**7059429**	**78887889**
सामान्य रिजर्व को अधिशेष स्थानान्तरित **Surplus Transferred to General Reserve**		7059429	—
पूँजी निधि को अधिशेष स्थानान्तरित **Surplus Transferred to Capital Fund**		—	78887889

अनुसूची ए — मानकों की बिक्री SCHEDULE A — SALE OF STANDARDS

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 1998-99	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1997-98
1.	भारतीय मानक Indian Standards	22518201	22845819
2.	विदेशी प्रकाशन (कमीशन) Overseas Publications (Commission)	1680339	1741757
	कुल योग **TOTAL**	**24198540**	**24587576**

अनुसूची बी — अन्य आय SCHEDULE B — OTHER INCOME

1.	निवेश पर प्राप्त ब्याज Interest Earned on Investment	—	80837709
2.	सम्मेलन, परामर्श और प्रशिक्षण शुल्क Conferences, Consultancy & Training Fees	4034428	3154778
3.	विविध Miscellaneous		
	a) अन्य स्रोत (खंड 18 (i) (सी) देखें Other Sources [refer Section 18 (i) (c)]		
	b) राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार (नेट) National Quality Award (Net)	201250	NIL
	c) अन्य Others	3898710	5740652
	कुल योग **TOTAL**	**8134388**	**89733139**

अनुसूची सी — वेतन और भत्ते SCHEDULE C — PAY AND ALLOWANCES

1.	वेतन PAY		
	ब्यूरो के सदस्य (महानिदेशक को छोड़कर) Members of the Bureau (Other than Director General)		
	महानिदेशक Director General	284200	196101
	अधिकारी Officers	107703947	70698012
	स्टाफ Staff	111798328	73808916
2.	भत्ते ALLOWANCES		
	ब्यूरो के सदस्य (महानिदेशक को छोड़कर) Members of the Bureau (Other than Director General)		
	महानिदेशक Director General	206892	163273
	अधिकारी Officers	42750646	49520267
	स्टाफ Staff	54828586	66612051
	कुल योग **TOTAL**	317572599	260998620

अनुसूची डी — सेवा निवृत्ति लाभ SCHEDULE D — RETIREMENT BENEFITS

	अंशदान Contributions to :		
1.	भविष्य निधि Provident Fund	476663	254303
2.	पैंशन निधि Pension Fund	45706456	55000000
3.	ग्रेचयुटी निधि Gratuity Fund	—	500000
	कुल योग **TOTAL**	**46183119**	**55754303**

अनुसूची ई — स्टाफ को अन्य लाभ SCHEDULE E — OTHER STAFF BENEFITS

	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1998-99	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1997-98
1. के. सरकार स्वा. से. और अन्य चिकित्सा लाभ CGHS and other Medical Benefits	8171837	8261769
2. कर्मचारी कल्याण Staff Welfere	2291457	4241870
3. छुट्टी यात्रा रियायत Leave Travel Concession	4774321	1989662
कुल योग **TOTAL**	**15237615**	**14493301**

अनुसूची एफ — यात्रा व्यय SCHEDULE F — TRAVELLING EXPENSES

1. विदेश Overseas	3905948	1509580
2. अधिकारी एवं स्टाफ Officers and Staff	18169709	15238655
3. समिति के सदस्य Committee Members	175955	144969
कुल योग **TOTAL**	**22251612**	**16893204**

अनुसूची जी — अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे SCHEDULE G — SUBS TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

1. अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन International Standards Organization	6762261	6799379
2. अंतर्राष्ट्रीय विद्युततकनीकी आयोग International Electrotechnical Commission	4801278	4759666
कुल योग **TOTAL**	**11563539**	**11559045**

अनुसूची एच — उत्पादन SCHEDULE H — PRODUCTION

1. मानक Standards	3791959	3151177
2. बुलेटिन Bulletin	418403	663902
3. अन्य प्रकाशन Other Publications	472815	1212908
कुल योग **TOTAL**	**4683177**	**5027987**

अनुसूची आई — परीक्षण SCHEDULE I — TESTING

1. बाहरी प्रयोगशालाओं को किया गया परीक्षण भुगतान Testing Fees Paid to Outside Labs	25449691	18661607
2. प्रयोगशाला उपकरण और स्टोर का सामान Laboratory Apparatus and Stores	3606575	3853921
3. बाजार से खरीदे गए नमूने Market Samples	1254821	1372398
कुल योग **TOTAL**	**30311087**	**23887926**

अनुसूची जे — प्रचार SCHEDULE J — PUBLICITY

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 1998-99	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1997-98
1.	प्रदर्शनी Exhibition	364948	289034
2.	विज्ञापन Advertising	2259735	3113056
3.	दृश्य–श्रव्य और अन्य Audio-visuals and Others	1466968	931062
	कुल योग **TOTAL**	**4091651**	**4333152**

अनुसूची के — कार्यालय व्यय SCHEDULE K — OFFICE EXPENSES

1.	स्टेशनरी Stationery	4930424	3878825
2.	डाक–व्यय Postage	3751858	3027798
3.	टेलीफोन और टेलेक्स Telephone and Telex	6628219	6440913
4.	भर्ती Recruitment	84849	259104
5.	जलपान एवं मनोरंजन Refreshment and Entertainment	764103	650016
6.	वर्दियां Liveries	468372	420511
7.	माल भाड़ा एवं ढुलाई Freight and Cartage	502856	652240
8.	बीमा एवं बैंक प्रभार Insurance and Bank Charges	1308305	1357354
9.	अन्य Miscellaneous	1804103	1218986
10.	किराया और कर Rent and Taxes	8928415	9150791
11.	बिजली और पानी Electricity and Water	11289321	10184364
	कुल योग **TOTAL**	**40460825**	**37240902**

अनुसूची एल — मरम्मत एवं रख–रखाव SCHEDULE L — REPAIRS AND MAINTENANCE

1.	फर्नीचर एवं उपस्कर Furniture and Equipment	1574450	1439122
2.	भवन Building	8846542	7748304
3.	वाहन Vehicles	1438795	1397004
	कुल योग **TOTAL**	**11859787**	**10584430**

अनुसूची एम — अन्य व्यय SCHEDULE M — OTHER EXPENSES

	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1998-99	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1997-98
1. अनुसंधान एवं परामर्श Research and Consultation	—	—
2. सम्मेलन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम Conferences, Consultancy and Training Programme	2694373	2523646
3. इलैक्टॉनिक आँकड़ा संसाधन Electronic Data Processing	1607714	2070294
4. पुस्तकालय चंदा तथा अन्य व्यय Library Subscription and Other Expenses	506443	339962
5. लेखा परीक्षा शुल्क तथा कानूनी कार्यवाही प्रभार Audit Fees and Legal Charges	1020680	637520
6. स्टाफ प्रशिक्षण Staff Training	252860	859261
7. गृह निर्माण ऋण पर ब्याज/ब्याज पर छूट Interest/Interest subsidy on House Building Loan	2671500	2458608
8. अन्य ऋणों पर ब्याज Interest on other loans from		
(क) केन्द्र सरकार a) Central Government	—	—
(ख) अन्य स्रोत b) Other Sources	—	—
9. डूबते ऋण एंव व्यय बट्टे खाते में डाला Bad Debts and Expenses Written Off	5940	182371
10. आई ई सी जी एम 97 (अंशदान का शुद्ध) IEC GM 97 (Net of Cont.)	1182966	12306630
11. स्वर्ण जयंती समारोह Golden Jublee Celebration	547471	2271101
12. राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार (शुद्ध) National Quality Award (Net)	—	253742
13. गुणता पद्धति प्रभार Quality System Charges *	2282750	1476796
योग **TOTAL**	**12772697**	**25379931**

1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट में गुणता पद्धति शुल्क से हुई आय गुणता पद्धति खर्च की शुद्ध आय में दिखाई गई थी। 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट में इसे अलग से दर्शाया गया।

** In the Annual Report of 1997-98 the Income from Quality System Fee was shown net of Quality System Charges. These have been shown separately in the Annual Accounts of 1998-99.*

अनुसूची एम 1 — विश्व बैंक परियोजना राजस्व व्यय SCHEDULE M1 — WORLD BANK PROJECT REVENUE EXPENSES

	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1998-99	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1997-98
1. परियोजना 1 — मानकीकरण प्रबंधन एवं मानक विकास Project 1 – Standardization Management & Standards Development	—	—
2. परियोजना 2 — उत्पादों का गुणता उन्नयन Project 2 - Upgrading Quality of Products	163935	—
3. परियोजना 3 — भामाब्यूरो प्रयोगशाला नेटवर्क का उन्नयन Project 3 - Upgrading BIS Lab network	—	—
4. परियोजना 4 — भामाब्यूरो की प्रशिक्षण गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण Project 4 - Strengthening BIS Training Activity	—	16899
5. परियोजना 5 — भामाब्यूरो के संवर्धनात्मक प्रयासों को बढ़ाना Project 5 - Strengthening BIS Promotional Efforts	—	13883
6. परियोजना 6 — निर्यात के लिए तकनीकी सहायता Project 6 - Technical Assistance to Exports	—	—
7. परियोजना 7— मानक सूचना केन्द्र Project 7 - Standards Information Centres	—	—
8. परियोजना 8 — विद्युत प्रलेख छवि पुनर्प्राप्ति तंत्र तथा अंतर्सक्रिय सूचना तंत्र Project 8 - Electronic Document Image Retrieval System & Intractive Information System	—	—
योग **TOTAL**	**163935**	**30782**

अनुसूची एन — पूँजी निधि SCHEDULE N — CAPITAL FUND

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 1998-99		पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1997-98
पिछले तुलन पत्र के अनुसार As per last Balance Sheet		826262473		729099826
जमा: Add :				
पूँजीगत परिसंपत्तियों की लागत (अनुसूची "ओ" की क्रम सं. 1 देखें) Cost of Assets Capitalized (Refer Schedule 'O' Sl No. 1)	51432963		16008740	
क्वासम निधि से पूंजीगत परिसम्पत्तियों की लागत (अनुसूची "ओ" की क्रम सं. 3 ए देखें) Cost of Assets Capitalized from QAWSM funds (Refer Schedule 'O' Sl No. 3a)	—		299866	
विश्व बैंक ऋण प्रतिदान निधि खाते से अंतरण Transfer from World Bank Loan Redemption Fund Account	5200000		2600000	
व्यय से आय की अधिकता (आय तथा व्यय लेखे से अग्रानीत अधिशेष) Excess of Income over Expenditure (Surplus Carried over from Income and Expenditure Account)	—		78887889	
1998-99 के दौरान पूँजीगत व्यय अवसंरचनात्मक विकास निधि से अन्तरित राशि Capital Expenses during 1998-99 Amount Transfer from Infrastructure Development Fund	29068249	85701212	—	97796495
योग **TOTAL**		**911963685**		**826896321**
नामे: Less :				
पूँजीगत निधि से अवसंरचनात्मक विकास निधि में अन्तर Transfer from Capital Fund to Infrastructure Development Fund	274100000		—	
पूँजीगत निधि से पेंशन निधि में अंतरण Transfer from Capital Fund to Pension Fund	364400000		—	
बट्टे खाते में डाला गया पूँजीगत निवेश Capital Investment Written Off	5167		168558	
बट्टे खाते में डाला गया प्रयोगशाला उपकरण Laboratory Equipment Written Back	—		345818	
प्रयोगशाला एवं कार्यालय भवन–लखनऊ बट्टे खाते में डाला गया पूँजीगत व्यय Laboratory-cum-Office Building - Lucknow Capital Expenses Written Off	—	638505167	119472	633848
योग **TOTAL**		**273458518**		**826262473**

अनुसूची ओ — रिजर्व निधियाँ SCHEDULE O — RESERVES AND FUNDS

क्रम सं. Sl No.	विवरण Particulars	1 अप्रैल 98 को शेष निधि Fund Balance As on 1 April 98	1998-99 के दौरान प्राप्त अनुदान Grant Received During 1998-99	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ / विनियोजन Other Receipts/ Appropriations	वर्ष 1998-99 के दौरान उपयोग Utilisation during the year 1998-99			31 मार्च 99 की स्थिति As on 31 March 99
					पूँजी Capital	राजस्व Revenue	कुल Total	
1.	पूँजीकरण की प्रक्रिया में निधियाँ (परियोजनाओं के नाम) Funds in the Process of Capitalization (Name of the Projects)							
ए) a)	प्रयोगशाला उपकरण, कम्प्यूटर तथा संबद्ध उपकरण निधियाँ Laboratory Equipment, Computer and Associated Equipment Fund	10548800	—	176421	52713	—	52713	10672508
बी) b)	कलकत्ता प्रयोगशाला एवं कार्यालय भवन निधि Calcutta Lab-cum-Office Building Fund	458933	—	—	—	—	0	458933
सी) c)	एस एवं टी परियोजना निधि S & T Project Fund	77885	—	—	—	—	0	77885
डी) d)	स्टाफ आवास परियोजना Staff Housing Project	11380250	—	—	11380250	—	11380250	0
ई) e)	गैट परियोजना निधि GATT Project Fund	162370	—	—	—	—	0	162370
एफ) f)	प्रशिक्षण संस्थान निधि (भारत सरकार से अनुदान) Training Institute Fund (Grant from GOI)	28500000	13457000	—	40000000	—	40000000	1957000
जी) g)	वर्तमान भवन मुख्यालय निधि में वृद्धि Additions to Existing Bldg. HQ Fund	0	—	192879	—	—	0	192879
	योग **TOTAL**	51128238	13457000	369300	51432963	0	51432963	13521575
2.	कर्मचारी निधियाँ Employees Fund							
a)	ग्रेच्युटी निधि Gratuity Fund	405795	—	25447	—	106243	106243	324999
b)	हितकारी निधि Benevolent Fund	308432	—	287776	—	200000	200000	396208
c)	सा. भ. निधि G.P. Fund	255562068	—	93223794	—	30264747	30264747	318521115
d)	अंश. भ. निधि C.P. Fund	4410117	—	1269336**	—	86800	86800	5592653
e)	पेंशन निधि Pension Fund (New)	—	—	407073622	—	—	0	407073622
f)	पेंशन निधि Pension Fund (Old)	1344935	—	45706456	—	46934713	46934713	116678
	योग **TOTAL**	**262031347**	—	**547586431**	**0**	**77592503**	**77592503**	**732025275**
3.	अन्य विशेष परियोजना निधि Other Specific Project Funds							
a)	क्वासम QAWSM	604682	—	—	—	—	0	604682
b)	विश्व बैंक ऋण प्रतिदान निधि World Bank Loan Redemtion Fund	42049000	—	3685000*	—	5200000	5200000	40534000
c)	अवसंरचनात्मक विकास निधि Infrastructure Development Fund	—	—	306198900	29068249	—	29068249	277130651
	योग **TOTAL**	42653682	0	309883900	28068249	5200000	34268249	318269333
4.	सामान्य रिजर्व निधि General Reserve Fund	—	—	7059429	—	—	0	7059429
	कुल योग **GRAND TOTAL**	**355813267**	**13457000**	**864899060**	**80501212**	**82792503**	**163293715**	**1070875612**

वर्ष के दौरान रु. 32098900.के अर्जित ब्याज सहित *Includes interest earned during the year amounting to Rs. 32098900.

वर्ष के दौरान रु. 42673622.के अर्जित ब्याज सहित **Includes interest earned during the year amounting to Rs. 42673622.

अनुसूची पी — ऋण SCHEDULE P — LOANS

ऋण की प्रकृति Nature of Loan		31 मार्च 98 तक As on 31 March 98	1998-99 के दौरान During 1998-99 प्राप्तियाँ Receipts	 भुगतान Repayment	31 मार्च 99 को शेष Balance on 31 March 99
i)	भारत सरकार से प्राप्त ऋण Loans from Govt. of India	—	—	—	—
	योग **TOTAL**	—	—	—	—
ii)	अन्य स्रोतों से ऋण Loans from other Sources				
1.	विश्व बैंक (आई सी आई सी आई के द्वारा) World Bank (Through ICICI)	40400000	—	5200000	35200000
	योग **TOTAL**	**40400000**	—	**5200000**	35200000
	कुल योग **GRAND TOTAL**	**40400000**	—	**5200000**	**35200000**

अनुसूची क्यू — अचल परिसंपत्तियाँ SCHEDULE Q — FIXED ASSETS

क्रम सं. Sl No.	विवरण Particulars	सकल ब्लॉक मूल्यानुसार Gross Block at Cost				मूल्यह्रास Depriciation				नेट ब्लाक Net Block	
		31 मार्च 98 को स्थिति As at 31 March 1998	जमा Addition	घटा बिक्री / बट्टे–खाते Deduction Sale/Written Off	31 मार्च 99 को स्थिति As at 31 March 99	31 मार्च 98 तक Up to 31 March 98	जमा Addition	घटा बिक्री / बट्टे–खाते Deduction Sale/Written Off	31 मार्च 99 तक Up to 31 March 99	31 मार्च 99 को स्थिति As at 31 March 99	31 मार्च 98 को स्थिति As at 31 March 98
1.	भवन — मुख्यालय मानक भवन / मानककालय Building - Headquarters (Manak Bhavan/Mankalaya)	8847905	904180	—	9752085	4399868	468710	—	4868578	4883507	4448037
2.	भवन- I मद्रास Building - I Madras	1133556	—	—	1133556	691895	21823	—	713718	419838	441661
3.	भवन- II मद्रास Building - II Madras	8784317	—	—	8784317	2774603	322094	—	3096697	5687620	6009714
4.	भवन–साहिबाबाद केन्द्रीय प्रयोगशाला Building - Central Laboratory at Sahibabad	14365960	—	—	14365960	6875301	409096	—	7284397	7081563	7490659
5.	भवन–मुंबई Building - Mumbai	5274900	—	—	5274900	3020587	110334	—	3130921	2143979	2254313
6.	भवन–I कलकत्ता Building - I Calcutta	3112635	—	—	3112635	1825556	61015	—	1886571	1226064	1287079
7.	भवन - II कलकत्ता Building - II Calcutta	8698466	—	—	8698466	2071014	342077	—	2413091	6285375	6627452
8.	रिहायशी फ्लैट Residential Flats	49185660	11380250	—	60565910	8231152	2616737	—	10847889	49718021	40954508
9.	जीरॉक्स कापी उपस्कर Zerox Copying Equipment	130541	—	—	130541	130037	136	—	130173	368	504
10.	प्रयोगशाला उपस्कर (क्वासम को मिलाकर) Laboratory Equipment (incl QAWSM)	133666185	52713	—	133718898	107878258	6171303	—	114049561	19669337	25787927
11.	फर्नीचर व उपकरण (गैट, एसएंडटो को मिलाकर) Furniture and Equipment (incl GATT, S & T)	33492092	5306072	32708	38765456	21885440	2879619	29567	24735492	14029964	11606652
12.	वाहन Vehicles	3153916	—	90000	3063916	1820829	266210	87974	1999065	1064851	1333087
13.	रिप्रोग्राफीय उपकरण Reprographic Equipment	1059929	—	—	1059929	1018788	10285	—	1029073	30856	41141
14.	पुस्तकालय में पुस्तकें Library Books	10901721	772997	21573	11653145	—	—	—	—	11653145	10901721
15.	मुख्यालय भवन का विस्तार–मानक भवन में समागार Ext. of HQ Building - Auditorium in Manak Bhavan	1442902	—	—	1442902	897692	42635	—	940327	502575	545210
16.	मुख्यालय भवन का विस्तार–अग्नि शमन परियोजना Ext. of HQ Building - Fire Fighting Project	2937333	—	—	2937333	1345593	226558	—	1572151	1365182	1591740
17.	विश्व बैंक परियोजना उपस्कर World Bank Project Equipment	9663085	—	—	9663085	6462290	784671	—	7246961	2416124	3200795
18.	भूमि–जम्मू Land - Jammu	49467	—	—	49467	—	—	—	—	49467	49467
19.	भूमि–नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान Training Institute - Land at NOIDA	—	47750000	—	47750000	—	—	—	—	47750000	0
20.	भवन–भोपाल कार्यालय Building - Bhopal Office	—	14335000	—	14335000	—	716750	—	716750	13618250	0
योग	**TOTAL**	**295900570**	**80501212**	**144281**	**376257501**	**171328903**	**15450053**	**117541**	**186661415**	**189596086**	**124571667**

अनुसूची – आर निवेश (लागत पर) SCHEDULE R — INVESTMENTS (AT COST)

क्रम सं. Sl No.	विवरण Particulars	31 मार्च 98 को स्थिति As on 31 March 98	जमा Additions	कटौतियाँ (बिक्री / परिपक्वता) Deductions (Sale/Maturity)	31 मार्च 99 को स्थिति As on 31 March 99
1.	बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं में जमा Deposits with Banks and Financial Institutions	540219064	258751894	221451709	577519249
2.	बैंक में जमा–विश्व बैंक ऋण प्रतिदान निधि निवेश खाता Deposits with Banks — World Bank Loan Redmp. Fund Investment Account	42049000	3685000	5200000	40534000
3.	सा.भ. निधि G.P. Fund	241840493	77086107	14492508	304434092
4.	अंश. भ. निधि C.P. Fund	4426315	624174	55950	4994539
5.	बैंकों में जमा–अन्य Deposits with Banks — Others				
	क) खाता ग्रेच्युटी निधि a) Account Gratuity Fund	—	—	—	0
	ख) योजनागत परियोजना से b) Out of Plan Projects	4293444	5293928	5293444	4293928
	ग) विश्व बैंक परियोजना से c) Out of World Bank Project	1539566	—	1539566	0
	घ) अहमदाबाद शाखा कार्यभवन परियोजना d) ABO Building Project	1300000	—	—	1300000
	ङ) हितकारी निधि e) Benevolent Fund	200000	—	—	200000
	योग **TOTAL**	**835867882**	**345441103**	**248033177**	**933275808**

अनुसूची एस — चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम SCHEDULE S — CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

क्र. सं. Sl No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1998-99	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1997-98
1.	स्टॉक (लागत पर) Stock (at cost)		
क)	छपाई का कागज		
a)	Printing Paper	2673906	1460693
ख)	प्रयोगशाला में उपकरण और स्टोर का सामान		
b)	Laboratory Apparatus and Stores	1594978	1618407
ग)	स्टेशनरी तथा कंप्यूटर की खपत योग्य सामग्री		
c)	Stationery and Computer Consumables	920073	1454080
घ)	मरम्मत तथा रख–रखाव योग्य सामग्री		
d)	Repair and Maintenance Consumables	91945	62983
2.	फुटकर लेनदारियाँ Sundry Debtors		
क)	प्रकाशनों की बिक्री		
a)	Sale of Publications	4165201	5023678
ख)	प्रमाणन		
b)	Certification	7949365	6009844
3.	ऋण, अग्रिम और जमा Loans, Advances and Deposits		
क)	कर्मचारियों को निम्नलिखित के लिए ऋण		
a)	Loans to employees for:		
	i) वाहन खरीद Purchase of Conveyance	14829143	8354847
	ii) आवास निर्माण House Construction	4436710	120850
	iii) कंप्यूटर Computer	535630	—
ख)	कर्मचारियों को निम्नलिखित के लिए अग्रिम		
b)	Advances to employees for:		
	i) त्यौहार Festival	793675	286405
	ii) प्राकृतिक आपदाएं Natural Calamities	93750	350
	iii) यात्रा व्यय Travelling Expenses	4069697	4643494
	iv) छुट्टी यात्रा Leave Travel	1120275	1284262
	v) वसूली योग्य खाता Accounts Recoverable	164281	135735
	vi) पंखा अग्रिम Fan Advance	6021	120
ग)	समायोज्य अग्रिम (गैर योजना) (कर्मचारी / पार्टियाँ)		
c)	Adjustable Advances (Non Plan) (Employees / Parties)	14757212	13750940
घ)	पार्टियों को अग्रिम योजनागत परियोजना स्कीमों के अंतर्गत		
d)	Advances to Parties Under Plan Projects Schemes	9463949	58909686
ङ)	विश्व बैंक परियोजनाओं के अंतर्गत पार्टियों को अग्रिम		
e)	Advances to Parties Under World Bank Projects	18192804	18356739

क्र. सं. Sl No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष CURRENT YEAR 1998-99	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1997-98
च)	सरकारी पार्टियों से वसूली योग्य (कोलम्बो योजना)(एससीएपीपी / आईटीईसी)		
f)	Recoverables from Govt. Parties (Colombo Plan/SCAPP/ITEC)	3609447	2889895
छ)	वसूली योग्य लेखे (अन्य) (जी.आई.एस. लेखे में अन्तर सहित)		
g)	Accounts Recoverable (Others) (Including Diff. in GIS Account)	4184595	3553391
4.	प्रतिभूति जमा Security Deposits	1973182	1919541
5.	पूर्वप्रदत्त व्यय Prepaid Expenses	573568	1219725
6.	स्रोत पर काटा गया कर Tax Deducted at Sources	1138250	845187
7.	ब्याज प्राप्ति एवं बकाया गैर योजना सा.भ. निधि / अंश भ. निधि		
	Interest Accrued & Due — Non Plan	94302824	78896199
	— GPF/CPF	10666793	7220897
8.	नकदी एवं बैंक शेष Cash and Bank Balances		
क)	बैंकों में		
a)	With Banks	71684107	63709923
ख)	हाथ में (इम्प्रेस्ट सहित)		
b)	In Hand (Including Imprest)	659294	583422
ग)	फ्रेंकिंग मशीन		
c)	Franking Machine	197162	51806
घ)	पारवहन में चैक		
d)	Cheques in Transit	5234975	4290000
	योग **TOTAL**	**280082812**	**286653099**

अनुसूची टी – चालू देयताएँ SCHEDULE T— CURRENT LIABILITIES

1.	फुटकर लेनदारियाँ Sundry Creditors		
क)	देश में		
a)	Inland	4280876	4874020
ख)	विदेश में		
b)	Abroad	5300155	5266913
ग)	बयाना राशि		
c)	Earnest Money	5301968	5803945
घ)	ग्राहक बकाया (बिक्री)		
d)	Customer Balances (Sales)	3088159	3589666
ङ)	ग्राहक बकाया (प्रमाणन)		
e)	Customer Balances (Certification)	3184290	2613980
2.	भुगतान योग्य लेखे (कर्मचारियों के) Accounts Payable (Employees)	547082	739909
3.	अप्रदत्त वेतन और मजदूरी Unpaid Salaries and Wages	10081	20394
4.	बिहार सरकार (प्रयोगशाला उपस्कर खाता) Govt. of Bihar (Lab Equipment a/c)	395526	395526
5.	गुजरात सरकार (अ.शा.का. भवन खाता) Govt. of Gujarat (ABO Building a/c)	1312439	1312555
	योग **TOTAL**	**23420576**	**24616908**

लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय लेखा दिनांक 31 मार्च, 1999 के तुलन पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनायें और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं और संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्यधीन अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गये स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में दिये गये उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलन पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गए हैं, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

हस्ता./-
पी.के. जेना
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली–110 002

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मार्च 2000

भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली की वर्ष **1998-1999** के आय–व्यय की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. परिचय

भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में दिनांक 1 अप्रैल 1987 को हुई। इसने गुणता आश्वासन में उत्पाद प्रमाणन, परामर्श सेवाऐ, परीक्षण आदि तत्कालीन भारतीय मानक संस्था के सभी कार्य संभाले।

ब्यूरो के क्रियाकलापों का वित्त पोषण प्रमाणन मुहर शुल्क की प्राप्ति, लाइसेंस शुल्क, प्रकाशनों की बिक्री और केन्द्र सरकार के अनुदान से होता है। वर्ष 1998-99 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने केन्द्र सरकार से 134.57 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया।

ब्यूरो के लेखे–जोखों की लेखा–परीक्षा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अनुच्छेद 22 (2) और नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 19 (2) के अन्तर्गत की गई।

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 1999 and the Balance Sheet as on 31st March, 1999 of the Bureau of India Standards, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended audit report. I certify as a result of my audit, that in my opinion these Accounts and Balanace Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bureau of Indian Standards, New Delhi according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organization.

Sd./-
(P. K. Jena)
Principal Director of Audit,
Economic and Service Ministries,
New Delhi - 110 002

Place : New Delhi
Date : 10 March 2000

AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF BUREAU OF INDIAN STANDARDS, NEW DELHI FOR THE YEAR 1998-99

1. Introduction

The Bureau of Indian Standards was established as a statutory body with effect from 1st April, 1987 with the enactment of *Bureau of Indian Standards Act,* 1986. It took over all activities, viz, product certification on quality assurance, consultancy services, testing etc. of the erstwhile Indian Standards Institution.

The activities of the Bureau are financed from receipt of fees for certification mark, licence fees, sale of publications and grant from Central Government. The Bureau of Indian Standards received a grant of Rs 134.57 lakh from the Central Government during 1998-99.

The audit of the accounts of the Bureau was conducted under Section-22(2) of the *Bureau of Indian Standards Act,* 1986 and Section-19(2) of the *Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act,* 1971.

2.1 लेखा पर टिप्पणी

2.1.1 वार्षिक लेखा 'निवेश (लागत)' की अनुसूची (आर) में दिनांक 31.3.1999 को रु. 933 275 808.00 दर्शाए गए हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान इस राशि में से 618 053 249.00 का विश्व बैंक ऋण प्रतिदान निधि निवेश खाता (वर्ल्ड बैंक रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेन्ट एकाउन्ट) सहित बैंक और वित्तीय संस्थानों में "जमा" के रूप में पूँजी निवेश किया गया। परन्तु पूँजी निवेश रजिस्टर में रु. 618 027 802.00 दर्शाए गए हैं। रु. 25 447.00 को समाशोधित किया जाए।

ब्यूरो ने (जनवरी 2000 में) घोषित किया है कि लेखा वर्ष 1999-2000 में इस अन्तर को ठीक कर दिया गया है।

2.1.2 बैंक समाशोधन

पटना और गाजियाबाद कार्यालय द्वारा प्रचालित बैंक खातों का 31.3.1997 तक समाशोधन कर लिया गया है और कलकत्ता कार्यालय का केवल 31.3.1998 तक समाशोधन किया गया है।

बैंक समाशोधन विवरण की जाँच करने पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए:

i) 1995-96 से 1998-1999 तक की अवधि से संबद्ध 235 मामलों में बही खाते में प्राप्तियाँ कुल रु. 13 585 214.00 की प्रविष्टि की गई है परन्तु इन्हें बैंक खाते में नहीं दर्शाया गया है। इस धनराशि में से रु. 36 183.00 के चैकों (31.3.1998 को मुख्यालय के रु. 20 000) और अहमदाबाद, मुंबई और साहिबाबाद कार्यालयों के 16 183.00 रुपये की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। अतः ब्यूरो द्वारा पहले से खाते में डाली गई प्राप्तियों को अधिक दर्शाया गया है।

ii) वर्ष 1992-93 से 1998-99 तक की अवधि से संबद्ध 41 मदों के रु. 747 496.00 बैंक द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के खाते में नामे डाला गया है परन्तु ब्यूरो के बहीखाते में इससे संबंधित प्रविष्टियाँ नहीं की गई हैं। 41 मदों में से 18 मदें एक वर्ष से अधिक पुरानी हैं।

iii) वर्ष 1997-98 और 1998-99 से संबद्ध 12 मामलों में बैंक विवरण में दर्शाया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से बैंक द्वारा रु. 108 450.00 वसूल किए गए परन्तु बहीखाते में यह धनराशि नहीं दर्शायी गई है।

iv) वर्ष 1992-93 से 1998-99 तक की अवधि से संबद्ध विभिन्न पार्टियों को रु. 16 798 140.50 के 556 चैक जारी किए परन्तु ये चैक भुनाए नहीं गए। समय सीमा

2.1 Comments on Accounts

2.1.1 In Schedule 'R' to Annual Accounts "Investment (at cost)" Rs 933 275 808.00 has been shown as on 31.3.1999. Out of this amount, investment of Rs 618 053 249.00 was made during 1998-99 as deposits with Bank and Financial Institutions including World Bank Loan, Redemption Fund Investment Account. However, figures shown in investment register was Rs 618 027 802.00. The difference of Rs 25 447.00 may be reconciled.

The Bureau stated (January 2000) that the difference has been corrected in the accounting year 1999-2000.

2.1.2 Bank Reconciliation

Reconciliation of Bank account operated by Patna and Ghaziabad Office was done up to 31.3.1997 and in Calcutta Office up to 31.3.1998 only.

A scrutiny of Bank Reconciliation Statement revealed the following:

i) In 235 cases pertaining to the period from 1995-96 to 1998-99 receipts totalling Rs 13 585 214.00 entered in the cash book but did not appear in the bank account. Out of this cheques amounting to Rs 36 183.00 (Rs 20 000.00 in respect of Hdqrs. and Rs 16 183.00 in respect of Ahmedabad, Mumbai and Sahibabad Offices as on 31.3.1998) has already become time barred. Hence the receipts already accounted for by Bureau were over stated to that extent.

ii) Rs 747 496.00 involving 41 items for the period from 1992-93 to 1998-99 were debited to Bureau of Indian Standards account by the Bank but corresponding entries were not available in the Cash Book of the Bureau. Out of 41 items, 18 items were more than one year old.

iii) In 12 cases, pertaining to 1997-98 and 1998-99, the bank statement showed Rs 108 450.00 realised by the Bank on behalf of Bureau of Indian Standards but this amount has not been shown in the Cash Book.

iv) Bureau of Indian Standards issued 556 cheques involving Rs 16 798 140.50 pertaining to the period from 1992-93 to 1998-99 to various parties but these remained

समाप्त हुए इन चैकों को निरस्त नहीं किया गया और ब्यूरो के बहीखाते में जमा नहीं किया गया।

पटना, गाजियाबाद शाखा कार्यालयों और कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय के बैंक खातों के समाशोधन न होने के कारण ब्यूरो द्वारा वर्ष 1998-99 के लिए ग्रहण की गई शेष धनराशि का सही होना सत्यापित नहीं किया जा सका।

ब्यूरो ने (जनवरी 2000 में) घोषणा की है कि बैंक समाशोधन किया जा रहा है।

2.1.3 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची "एस" मद 3 एफ) शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई धनराशि रु. 3 609 447.00 को न तो काफी लम्बे समय से समाशोधित किया गया है और न ही उसका वर्षवार विवरण तैयार किया गया है।

ब्यूरो ने (जनवरी 2000) में घोषणा की है कि समाशोधन कार्य किया जा रहा है।

2.1.4 वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखा में वर्ष 1998-99 के दौरान ब्यूरो ने सभी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन कराए बिना अचल परिसंपत्तियों में रु. 154.50 लाख का मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है। क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में लम्बे समय से अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के प्रमाण पत्र को लेखा में संलग्न नहीं किया गया। वर्ष 1998-99 के वार्षिक खाते में दर्शाए गए रु. 1 895.96 लाख की अचल संपत्तियों की कीमत को भौतिक सत्यापन के बाद प्रमाणित किया जाए।

ब्यूरो ने (जनवरी 2000) में घोषित किया कि अचल परिसंपत्तियों का समय–समय पर भौतिक सत्यापन किया गया परन्तु ब्यूरो ने भौतिक सत्यापन के बाद अचल संपत्तियों की कीमत को प्रमाणित नहीं किया।

2.1.5 वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखा (अनुसूची "एस" 3 (बी) (iii) में रु. 4 069 697.00 की धनराशि विभिन्न अधिकारियों / कर्मचारियों पर यात्रा व्यय के रूप में बकाया दर्शायी गई है। यात्रा भत्ता अग्रिम के लैजर में यात्रा भत्ता अग्रिम के रूप में रु. 4 203 140.00 की धनराशि दर्शायी गई है। रु. 133 443.00 के अन्तर के समाशोधन की आवश्यकता है।

ब्यूरो ने (जनवरी 2000 में) घोषणा की है कि 31मार्च 2000 तक क्रेडिट मदों से संबद्ध संशोधन कार्य समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

unencashed. These time barred cheques had not been cancelled and credited in the Cash Book of the Bureau.

In the absence of non-reconciliation of Bank accounts of the branches at Patna, Ghaziabad and regional office of Calcutta, the correctness of the balances adopted by the Bureau for the year 1998-99 could not be verified in audit.

The Bureau stated (January 2000) that the Bank Reconciliation is under process.

2.1.3 Amount of Rs 3 609 447.00 shown under the head Current Assets, Loans and Advances [Schedule 'S' Item 3(f)] have neither been reconciled nor year-wise details thereof worked out since long.

The Bureau stated (January 2000) that the reconciliation work is in progress.

2.1.4 Bureau had charged depreciation of Rs 154.50 lakh on fixed assets during 1998-99 in the Annual Accounts for 1998-99 without physical verification of all the assets. Physical verification of fixed assets of Regional Offices and Branch Offices has not been conducted since long and the certificates of physical verification of fixed assets were not appended to the accounts. The value of fixed assets of Rs 1895.96 lakh as shown in the Annual Accounts for 1998-99 may be certified after physical verification.

The Bureau stated (January 2000) that the system of physical verification of assets exist from time to time, but Bureau have not certified the value of assets after physical verification.

2.1.5 An amount of Rs 4 069 697.00 has been shown as outstanding Travelling Expenses against various officers/officials in the Annual Accounts of BIS for the year 1998-99 [Schedule 'S' 3(b) (iii)]. TA Advance Ledger showed outstanding amount of TA Advances as Rs 4 203 140.00. Difference of Rs 133 443.00 needs reconciliation.

The Bureau stated (January, 2000) that the efforts are being made to clear the credit items by 31st March 2000.

3.2 अन्य मुद्दे

3.2.1 चालू वर्ष के लेखा में दर्शाया गया गत वर्ष **(1997-98)** के लेखा में शेष–राशि का अन्तर

"गुणता पद्धति प्रमाणन शुल्क" शीर्ष के अन्तर्गत गत वर्ष के लेखा में आय और व्यय खाते में रु. 15 922 880.00 को आय के रूप में दर्शाया गया है। परन्तु वर्ष 1998-99 के लेखा में उसी शीर्ष के अन्तर्गत रु. 17 399 676.00 को पिछले वर्ष के आँकड़ों के रूप में दर्शाया गया है। जिसके परिणामस्वरूप रु. 1 476 796.00 का अन्तर आ गया है। "अन्य व्यय" शीर्ष के अन्तर्गत आय और व्यय खाते में व्यय पक्ष में यह अन्तर साथ–साथ बढ़ गया है। लेखा परीक्षा द्वारा लेखा प्रमाणित करने के बाद ऐसा करने का कारण स्पष्ट किया जाए।

ब्यूरो ने (जनवरी 2000 में) बताया कि आँकड़ों में परिवर्तन से वर्ष 1997-98 के निवल अधिशेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस संबंध में अनुसूची "एम" में पाद टिप्पणी दी गई है।

3.2.2 सरकार से प्राप्त अनुदान (रु. 134.57 लाख) का उपयोग प्रमाणपत्र जीएफआरएस के 19 ए फार्म में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि लेखा में इस व्यय को प्रभारित किया गया है।

ब्यूरो ने (जनवरी 2000 में) बताया कि सरकार से प्राप्त अनुदान का 1997-98 तक का उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। लेखा प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद वर्ष 1998-99 का उपयोग प्रमाणपत्र सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

3.2.3 गत वर्षों से संबंधित खर्च न किए गए अनुदान रु. 40.24 लाख को लेखा में लौटाया जाने वाले/वापस किए जाने वाले अनुदान के रूप अलग से नहीं दर्शाया गया है।

3.2.4 लेखा पर महत्वपूर्ण नीतियाँ/टिप्पणियाँ लेखा में संलग्न नहीं की गई हैं। ब्यूरो ने (फरवरी 2000 में) बताया कि इन्हें आगामी वर्ष से संलग्न किया जाएगा।

3.2.5 अवसंरचनात्मक (इंफ्रास्ट्रकचर) विकास निधि, पैंशन निधि और सामान्य आरक्षित निधि से संबंद्ध अनुसूची "आर" में दर्शाए गए रु. 57.75 करोड़ के बैकों/वित्तीय संस्थानों में किए निवेश को 31.03.1999 तक के लेखा में अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

3.2.6 आईसीआईसीआई को किए गए विश्व बैंक के

3.2 Other Points

3.2.1 Difference of balances in previous year (1997-98) account shown in the current year account

In the previous year account under the head - "Quality System Certification Fees" Rs 15 922 880.00 was shown as income in the Income and Expenditure Accounts. However, Rs 17 399 676.00 has been shown as figure of the previous year under the same head in the account of 1998-99 which resulted in a difference of Rs 1 476 796.00. This difference has been simultaneously increased in expenditure side of the Income and Expenditure Account under the head "Other Expenses". Reasons for doing so after the accounts were certified by Audit may be elucidated.

The Bureau stated (January 2000) that the change of figures do not have any effect on the net surplus of 1997-98 and the footnote to this effect was given in Schedule 'M'

3.2.2 Utilization certificates in respect of grants (Rs 134.57 lakh) received from the Govt. had not been submitted in Form 19A of GFRs, though expenditure had been charged in Accounts.

The Bureau stated (January 2000) that the UCs in respect of government grants have been submitted up to 1997-98. The certificate for 1998-99 will be submitted to the Government after receipt of audit certificate.

3.2.3 Unspent grants amounting to Rs 40.24 lakh, pertaining to previous years has not been shown separately as returnable/ refundable grants in the Accounts.

3.2.4 Significant accounting policies/notes on accounts have not been appended to the Accounts. The Bureau stated (February 2000) that the same would be appended from the next year onwards.

3.2.5 Investment of Rs 57.75 crore with Banks/ Financial Institutions shown in Schedule 'R' pertaining to Infrastructure Development Fund, Pension Fund and General Reserve Fund should have been mentioned separately in the Accounts as on 31.03.1999.

3.2.6 Repayment of World Bank Loan of

ऋण रु. 52.00 लाख का भुगतान अनुसूची "पी" में दर्शाया गया है। परन्तु उसके ब्याज रु. 367 886.00 को वार्षिक लेखा में अनुसूची "के" के अन्तर्गत बीमा और बैंक प्रभार में प्रभारित किया गया, जो ठीक नहीं है।

Rs 52.00 lakh to ICICI has been shown in Schedule 'P' but interest thereon Rs 367 886.00 has been charged to Insurance and Bank charges under Schedule 'K' of Annual Accounts which is not in order.

हस्ता./-
लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक
आर्थिक एवं सेवाएँ मंत्रालय
नई दिल्ली

Sd./-
Principal Director of Audit,
Economic & Service Ministries,
New Delhi

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मार्च 2000

Place : New Delhi
Dated : 10 March 2000

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
मोहाली
Mohali
चंडीगढ़
Chandigarh
गाजियाबाद
Ghaziabad
नई दिल्ली
New Delhi
साहिबाबाद
Sahibabad
फरीदाबाद
Faridabad
लखनऊ
Lucknow
पटना
Patna
जयपुर
Jaipur
कानपुर
Kanpur
Durgapur
गुवाहाटी
Guwahati
भोपाल
Bhopal
जमशेदपुर
Jamshedpur
अहमदाबाद
Ahmedabad
राजकोट
Rajkot
राउरकेला
Rourkela
कलकत्ता
Calcutta
भुवनेश्वर
Bhubaneshwar
नागपुर
Nagpur
भिलाई
Bhilai
औरंगाबाद
Aurangabad
मुंबई
Mumbai
पुणे
Pune
हैदराबाद
Hyderabad
बंगलौर
Bangalore
चेन्नई
Chennai
कोयम्बटूर
Coimbatore
तिरूवनन्तपुरम
Thiruvananthapuram
मुख्यालय
Headquarters
क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Offices
शाखा कार्यालय
Branch Offices
निरीक्षण कार्यालय
Inspection Offices
प्रयोगशालाएँ
Laboratories

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

MANAK BHAVAN, 9 BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI - 110002